



वार्षिक प्रतिवेदन एवं
लेखा सम्परीक्षा प्रतिवेदन
वित्तीय वर्ष 2020 – 2021

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग
विधा निलयम् सेक्टर-24, ऑफिस कॉम्प्लेक्स, प्लॉट नम्बर-07, ब्लॉक-बी, भू-तल,
नवा रायपुर, अटल नगर, जिला—रायपुर 144007
Email: cgpurc18@gmail.com, Website: www.cgpurc.in

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग



वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा सम्परीक्षा प्रतिवेदन
वित्तीय वर्ष 2020–2021

- टीप :— (1) छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम 2002 (क्रमांक 2 सन् 2002) यथा संशोधित 17 मार्च 2004 की धारा 24 के प्रावधानों के अंतर्गत स्थापित आयोग।
- (2) उक्त अधिनियम का निरसन एवं व्यावृत्ति छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005, (क्रमांक 13 सन् 2005) की धारा 44, दिनांक 25 अगस्त 2005 को किया गया।



क्रमांक – 426 / ए.ए.आर.सी. / 166 / ए / 2005 / 16585

रायपुर, दिनांक 11 / 02 / 2022

प्रति,

सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
उच्च शिक्षा विभाग,
मंत्रालय, महानदी भवन,
नया रायपुर (छ.ग.)

विषय :- वित्तीय वर्ष 2020–2021 का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा सम्परीक्षा प्रतिवेदन।

—00—

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) नियम 2005 की कंडिका 22 में यह प्रावधान है, कि “ आयोग प्रत्येक वर्ष के लिए एक वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेगा जिसमें उस वर्ष के क्रियाकलापों का लेखा-जोखा दिया जाएगा। नियम 2005 की कंडिका 23 (ग) में यह भी प्रावधान है कि आयोग के वार्षिक लेखा को चार्टर्ड एकाउंटेट द्वारा प्रमाणित करा कर उनका सम्परीक्षा प्रतिवेदन तैयार कराया जाएगा। कंडिका 22 एवं 23 की व्यवस्था के अनुसार वार्षिक प्रतिवेदन के साथ वित्तीय वर्ष की वार्षिक लेखा सम्परीक्षा की प्रतिलिपि संलग्न कर उच्च शिक्षा विभाग को आयोग द्वारा अग्रेषित किया जाना है तथा उच्च शिक्षा विभाग द्वारा उसे विधानसभा के पटल पर रखा जाना है। ”

उक्त वैधानिक व्यवस्था के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020–2021 का वार्षिक प्रतिवेदन एवं वार्षिक लेखा सम्परीक्षा प्रतिवेदन तैयार किया गया है, जिसे आयोग ने बैठक दिनांक 31 / 08 / 2021 को विचार कर अनुमोदन किया है।

आयोग द्वारा अनुमोदित वार्षिक एवं लेखा सम्परीक्षा प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही के लिये संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार।

भवदीय

शिवराम

(डॉ. शिव वरण शुक्ल)
अध्यक्ष

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग

वार्षिक प्रतिवेदन

वित्तीय वर्ष 2020–2021

आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 की धारा 22 के अनुसार वार्षिक प्रतिवेदन तैयार किया गया है, जिसमें वर्ष भर के क्रिया-कलापों का पूर्ण लेखा-जोखा दिया गया है। उक्त वार्षिक प्रतिवेदन उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से विधानसभा के पटल पर रखे जाने हेतु प्रस्तुत है।

1. विनियामक आयोग – पदाधिकारी एवं अधिकारी :–

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) की धारा 36 के अनुसार निजी विश्वविद्यालयों के विनियमन के लिए राज्य स्तर पर एक विनियामक आयोग स्थापित किया जायेगा जो राज्य शासन, एवं केन्द्रीय नियामक अभिकरणों के बीच अध्यापन, परीक्षा शोध एवं अन्य कार्यक्रमों में यथोचित मानक स्तर सुनिश्चित करने, विद्यार्थियों के हित संरक्षण तथा कर्मचारियों को तत्संगत शर्तें सुनिश्चित करने के लिए होगा, साथ ही विश्वविद्यालय को कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता बनाये रखेगा। विनियामक आयोग कुलाध्यक्ष के सामान्य नियंत्रण में कार्य करेगा तदानुसार आयोग निरन्तर कार्यरत् है। आयोग में वित्तीय वर्ष 2020–21 में निम्नानुसार पदाधिकारी एवं अधिकारी हैं :–

- | | | |
|--------------------------------|---|-------------------|
| (1) डॉ. शिव वरण शुक्ल | — | अध्यक्ष |
| (2) श्रीमती रेणु देशमुख | — | सदस्य (प्रशासनिक) |
| (3) डॉ. (श्रीमती) मनीषा शुक्ला | — | सचिव |

2. आयोग कार्यालय में उक्त पदाधिकारियों का कार्यकाल निम्नानुसार है :–

- (1) डॉ. शिव वरण शुक्ल ने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अध्यक्ष पद का कार्यभार दिनांक 06 / 10 / 2020 को ग्रहण किया है।
- (2) श्रीमती रेणु देशमुख ने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के सदस्य (प्रशासनिक) पद का कार्यभार दिनांक 01 / 12 / 2018 को ग्रहण किया है।
- (3) श्री के.के. चंद्राकर ने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के सचिव पद का कार्यभार दिनांक 06 / 03 / 2019 को ग्रहण किया है। उच्च शिक्षा विभाग का आदेश क्रमांक एफ 3–16 / 2016 / 38–2, दिनांक 24 / 11 / 2020 के माध्यम से उनका स्थानांतरण शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ में किया गया है, जिसके परिपालन में श्री के.के. चंद्राकर, सचिव, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग को दिनांक 01 / 12 / 2020 को अपराह्न में कार्य मुक्त किया गया तथा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, के सचिव पद का प्रभार अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक श्री रामजी द्विवेदी, प्रोग्रामर को दिया गया।
- (4) डॉ. (श्रीमती) मनीषा शुक्ला ने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के सचिव पद का कार्यभार दिनांक 24 / 03 / 2021 को ग्रहण किया है।

3. छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के कर्तव्य :—

- (1) निजी विश्वविद्यालयों में अध्यापन, परीक्षा और शोध के लिए मानक स्तर बनाए रखने के लिए ऐसे आवश्यक कदम उठाना जो वह उचित समझें।
- (2) यह सुनिश्चित करना कि निजी विश्वविद्यालय को कितना शुल्क और अन्य राशि एकत्रित करने का अधिकार हो ताकि वे उनके द्वारा दी जाने वाली शिक्षा की लागत को वसूल कर सके और साथ में उनके पास कुछ तर्कसंगत राशि बच भी सके, जिसका उपयोग वे संपत्ति के संधारण और आगे के विस्तार के लिये कर सकें।
- (3) यह सुनिश्चित करना कि निजी विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य हेतु नियुक्त शिक्षकों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य नियामक अभिकरणों द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हताएं हों।
- (4) यह सुनिश्चित करना कि निजी विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की नियुक्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य नियामक संस्थाओं द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानदंडों के अनुसार हुई है तथा विश्वविद्यालय की परिनियमों, अध्यादेशों के सुसंगत है।
- (5) यह सुनिश्चित करना कि निजी विश्वविद्यालय में नामांकित विद्यार्थियों के साथ शोषण न हो और उनसे शुल्क वसूल करने के लिए गलत तरीके न अपनाए जाए।
- (6) निजी विश्वविद्यालय के विघटन संबंधी सभी मामले में कार्यवाही करें, जिसमें विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम पूरा करने, परीक्षा संचालन करने एवं उपाधि देने का कार्यक्रम शामिल है, इस कार्य को किसी अन्य विश्वविद्यालय को इस प्रकार सौंपेंगे, ताकि विद्यार्थियों के हित प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हो विद्यार्थियों के लिए किये जाने वाले इन सब कार्यों में तथा विश्वविद्यालयों के विघटन पर होने वाले व्यय को विन्यास निधि एवं/सामान्य निधि से पूरा किया जाएगा।
- (7) निजी विश्वविद्यालय के परामर्श से राज्य के विभिन्न स्थानों पर स्थापित अध्ययन केन्द्रों का नियमन करना।

4. विनियामक आयोग की बैठकें :—

वर्ष 2020–2021 में विनियामक आयोग की 11 बैठकें निम्नांकित तिथियों में आयोजित की गई हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है :—

सं. क्र.	बैठक क्रमांक	बैठक दिनांक
01.	113 / 2020	21 / 04 / 2020
02.	114 / 2020	26 / 05 / 2020
03.	115 / 2020	30 / 06 / 2020
04.	116 / 2020	01 / 09 / 2020
05.	117 / 2020	12 / 10 / 2020
06.	118 / 2020	31 / 10 / 2020
07.	119 / 2020	12 / 11 / 2020
08.	120 / 2020	30 / 12 / 2020
09.	121 / 2021	13 / 01 / 2021
10.	122 / 2021	06 / 03 / 2021
11.	123 / 2021	27 / 03 / 2021



5. छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग हेतु प्रस्तावित बजट वर्ष 2020–21 के अनुमोदन पर विचार एवं निर्णय।

प्रकरण को आयोग की बैठक क्रमांक 113/2020, दिनांक 21/04/2020 में विचारार्थ एवं निर्णय हेतु रखा गया है। प्रकरण के संबंध में लेख है कि छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग हेतु प्रस्तावित बजट वर्ष 2020–21 का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया है।

6. आयोग कार्यालय द्वारा निजी विश्वविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों के लिए वर्ष 2019–20 हेतु अनुमोदित शुल्क राशि को आगामी शैक्षणिक सत्र 2020–21 में यथावत रखने विचार एवं निर्णय।

प्रकरण को आयोग की बैठक क्रमांक 114/2020, दिनांक 26/05/2020 में विचारार्थ एवं निर्णय हेतु रखा गया है। प्रकरण के संबंध में लेख है कि छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 की धारा 36(8)(ख) में निहित प्रावधानों के अनुपालन में राज्य में स्थापित निजी विश्वविद्यालयों के द्वारा वर्ष 2019–20 हेतु प्रस्तावित शुल्क राशि की समीक्षा उपरांत आयोग द्वारा शिक्षा की लागत के आधार पर शर्तों के अधीन शुल्क राशि का अनुमोदन किया गया है।

आयोग द्वारा अनुमोदित शुल्क राशि को आगामी शैक्षणिक सत्र 2020–21 में यथावत रखने हेतु विचार–विमर्श किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि निजी विश्वविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु पूर्व से अनुमोदित शुल्क राशि ही निजी विश्वविद्यालयों द्वारा ली जाये। यदि कोई नये पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2020–21 में प्रारंभ किये जाते हैं, तो निजी विश्वविद्यालयों द्वारा उनके लिए पृथक से प्रस्ताव प्रस्तुत कर संबंधित पाठ्यक्रमों के लिए शुल्क का अनुमोदन आयोग से कराया जाये। यह निर्देश सभी निजी विश्वविद्यालयों को जारी किया जाये।

7. विनियामक आयोग कार्यालय में विभिन्न प्रायोजक निकायों द्वारा जमा विन्यास निधि पर वित्तीय वर्ष 2019–20 की ब्याज़ राशि का भुगतान करने के संबंध में विचार एवं निर्णय।

प्रकरण को आयोग की बैठक क्रमांक 115/2020, दिनांक 30/06/2020 में विचारार्थ एवं निर्णय हेतु रखा गया है। प्रकरण के संबंध में लेख है कि आयोग कार्यालय में छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम–2005 में निहित प्रावधानों के अनुसार विभिन्न प्रायोजक निकायों द्वारा विन्यास निधि की राशि जमा की गयी है। प्रायोजक निकाय द्वारा जमा राशि पर विचार–विमर्श किया गया तथा संलग्नक–01 के अनुसार ब्याज़ राशि में नियमानुसार आयकर की कटौती कर ब्याज़ राशि को विमुक्त करने का निर्णय सर्वसम्मति से माननीय सदस्यों द्वारा लिया गया है।

8. श्री रामजी द्विवेदी को सहायक प्रोग्रामर के पद से प्रोग्रामर के पद पर पदोन्नति के संबंध में पदोन्नति समिति से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 26/06/2020 पर विचार एवं निर्णय।

प्रकरण को आयोग की बैठक क्रमांक 115/2020, दिनांक 30/06/2020 में विचारार्थ एवं निर्णय हेतु रखा गया है। प्रकरण के संबंध में लेख है कि श्री रामजी द्विवेदी को सहायक

प्रोग्रामर के पद से प्रोग्रामर के पद पर पदोन्नति के संबंध में पदोन्नति समिति द्वारा प्रतिवेदन दिनांक 26/06/2020 में निम्नानुसार संस्तुति की गई है :—

“छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग (अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भर्ती तथा सेवा की शर्तें) विनियम 2009 में निहित प्रवधान के अंतर्गत श्री रामजी द्विवेदी, सहायक प्रोग्रामर, को उनके 05 वर्ष के अनुभव एवं 05 वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदनों के अनुसार वरिष्ठता—सह—उपयुक्तता के आधार पर सहायक प्रोग्रामर के पद से प्रोग्रामर के पद पर पदोन्नति करने की अनुशंसा की जाती है।”

उक्त संस्तुति तथा विनियम—2009 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत प्रकरण में विस्तृत रूप से चर्चा एवं विचार—विमर्श उपरांत माननीय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से श्री रामजी द्विवेदी को सहायक प्रोग्रामर को पदोन्नति समिति की अनुशंसा के अनुसार प्रोग्रामर के पद पर पदोन्नति करने का अनुमोदन किया गया। इनका वेतन तथा सेवा की शर्ते विनियम—2009 के अनुसार होगी।

9. माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा श्री रावतपुरा सरकार के विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य के संबंध में दायर याचिका क्रमशः (सी.) क्रमांक 1601/2019 एवं (सी.) क्रमांक 2269/2019 के संबंध में आगामी आवश्यक कार्यवाही किये जाने पर विचार एवं निर्णय।

प्रकरण को आयोग की बैठक क्रमांक 115/2020, दिनांक 30/06/2020 में अध्यक्ष महोदय की अनुमति से चर्चा हेतु रखा गया है। प्रकरण के संबंध में लेख है कि श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में दायर याचिका क्रमशः (सी.) क्रमांक 1601/2019 एवं (सी.) क्रमांक 2269/2019 श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य के संबंध में आयोग का पक्ष माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु श्री किशोर भादुरी को आयोग द्वारा अधिवक्ता नियुक्त किया गया है। इन दोनों याचिकाओं में आयोग का पक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता श्री किशोर भादुरी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में इनके द्वारा देयक दिनांक 25/11/2019 को रूपये 165000/- प्रस्तुत किया गया है।

वरिष्ठ अधिवक्ता श्री किशोर भादुरी द्वारा प्रस्तुत देयक रूपये 165000/- पर विचार—विमर्श किया गया तथा माननीय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से उक्त देयक में नियमानुसार आयकर की कटौती करते हुए भुगतान करने का निर्णय लिया गया।

10. आई.सी.एफ.ए.आई. विश्वविद्यालय, दुर्ग में प्रभारी कुलपति की नियुक्ति के संबंध में जांच समिति से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 17/07/2020 पर विचार एवं निर्णय।

प्रकरण को आयोग की बैठक क्रमांक 116/2020, दिनांक 01/09/2020 में विचारार्थ एवं निर्णय हेतु रखा गया है। प्रकरण के संबंध में लेख है कि माननीय राज्यपाल एवं कुलाध्यक्ष, सचिवालय से प्राप्त पत्र क्रमांक एफ 1-3/2017/रास/यू.-14, दिनांक 01/06/2020 में उल्लेख किया गया है कि आई.सी.एफ.ए.आई. विश्वविद्यालय द्वारा प्रभारी कुलपति की नियुक्ति किये जाने के संबंध में इस सचिवालय के पत्रों का विधिसम्मत उत्तर नहीं दिये जाने के कारण प्रकरण में राजभवन, सचिवालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से अवगत कराने हेतु आयोग निर्देशित किया गया। उक्त प्रकरण के संबंध में आयोग द्वारा आई.सी.एफ.ए.आई. विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति को तथ्यात्मक प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु आयोग से पत्र दिनांक 15/06/2020 को पत्र लिखा गया। प्रभारी कुलपति, आई.सी.एफ.ए.आई. विश्वविद्यालय द्वारा पत्र दिनांक 25/06/2020 के माध्यम से

आयोग कार्यालय को प्रतिवेदन/जानकारी उपलब्ध करायी गई। विश्वविद्यालय से प्राप्त जानकारी प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण की जांच हेतु तीन सदस्यीय समिति का गठन आयोग द्वारा किया गया। जांच समिति से प्राप्त जांच प्रतिवेदन दिनांक 17/07/2020 में निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :—

“ प्रायोजक निकाय ने समय—समय पर प्रभारी कुलपतियों की नियुक्ति कर ऐसी शक्तियों का प्रयोग किया है, जो अधिनियम—2005 में न तो निहित है और न ही विश्वविद्यालय के परिनियम में प्रावधानित है। इस प्रकार विश्वविद्यालय का संचालन बिना वैधानिक कुलपति के लंबे समय से किए जाने से प्रशासनिक/अकादमिक कुप्रबंधन की स्थिति निर्भित हुई है तथा विश्वविद्यालय द्वारा अधिनियम—2005 तथा उसके अंतर्गत निर्भित परिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। ”

उक्त तथ्यों के आधार पर जांच समिति छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम—2005 में निहित प्रावधान की धारा 41(1) के अंतर्गत विश्वविद्यालय के विरुद्ध समुचित कार्यवाही करने की अनुशंसा करती है।”

जांच समिति से प्राप्त उक्त जांच प्रतिवेदन पर विचार—विमर्श किया गया तथा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि जांच प्रतिवेदन को राज्य शासन को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित किया जाए।

11. श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय में नवीन शिक्षण कार्यक्रम/संकाय के संबंध में आयोग से राज्य शासन को प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 21/07/2020 का अनुमोदन करने के संबंध में विचार एवं निर्णय।

प्रकरण को आयोग की बैठक क्रमांक 116/2020, दिनांक 01/09/2020 में विचारार्थ एवं निर्णय हेतु रखा गया है। प्रकरण के संबंध में लेख है कि छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर से प्राप्त पत्र क्रमांक एफ 3—9/2012/38—2, दिनांक 30/06/2020 के साथ संलग्न श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय के पत्र दिनांक 15/06/2020 में नवीन शिक्षण कार्यक्रम/संकाय के संबंध में प्रस्ताव का परीक्षण करने हेतु आयोग द्वारा अधिसूचना दिनांक 09/07/2020 के माध्यम से तीन सदस्यीय मूल्यांकन समिति का गठन किया गया तथा मूल्यांकन समिति से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 15/07/2020 में निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :—

“ राज्य शासन द्वारा प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 22/05/2020 के सरल क्रमांक 01 में एलाइड साइंस संकाय के स्थान पर संशोधित करते हुए “ हेल्थ एण्ड एलाइड साइंस ” किये जाने हेतु मूल्यांकन समिति अनुशंसा करती है।”

मूल्यांकन समिति की उक्त अनुशंसा के आधार पर आयोग कार्यालय द्वारा दिनांक 21/07/2020 को आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्ताव राज्य शासन को अग्रेषित किया गया, जिसका अवलोकन माननीय सदस्यों को कराया गया तथा माननीय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

12. श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय में नवीन शिक्षण कार्यक्रम/संकाय के संबंध में आयोग से राज्य शासन को प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 21/07/2020 का अनुमोदन करने के संबंध में विचार एवं निर्णय।

प्रकरण को आयोग की बैठक क्रमांक 116/2020, दिनांक 01/09/2020 में विचारार्थ एवं निर्णय हेतु रखा गया है। प्रकरण के संबंध में लेख है कि छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा

विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर से प्राप्त पत्र क्रमांक एफ 3-9/2012/38-2, दिनांक 30/06/2020 के साथ संलग्न श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय के पत्र दिनांक 15/06/2020 में नवीन शिक्षण कार्यक्रम/संकाय के संबंध में प्रस्ताव का परीक्षण करने हेतु आयोग द्वारा अधिसूचना दिनांक 09/07/2020 के माध्यम से तीन सदस्यीय मूल्यांकन समिति का गठन किया गया तथा मूल्यांकन समिति से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 15/07/2020 में निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :—

“ राज्य शासन द्वारा प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 22/05/2020 के सरल क्रमांक 01 में एलाइड साइंस संकाय के स्थान पर संशोधित करते हुए “ हेल्थ एण्ड एलाइड साइंस ” किये जाने हेतु मूल्यांकन समिति अनुशंसा करती है।”

मूल्यांकन समिति की उक्त अनुशंसा के आधार पर आयोग कार्यालय द्वारा दिनांक 21/07/2020 को आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्ताव राज्य शासन को अग्रेषित किया गया, जिसका अवलोकन माननीय सदस्यों को कराया गया तथा माननीय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

13. कलिंगा विश्वविद्यालय, रायपुर में नये संकाय/शिक्षण कार्यक्रमों को जोड़े जाने की अनुमति के संबंध में मूल्यांकन समिति से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 17/08/2020 पर विचार एवं निर्णय।

प्रकरण को आयोग की बैठक क्रमांक 116/2020, दिनांक 01/09/2020 में विचारार्थ एवं निर्णय हेतु रखा गया है। प्रकरण के संबंध में लेख है कलिंगा विश्वविद्यालय, कोटनी पलौद, आरंग, रायपुर से प्राप्त पत्र क्रमांक के.यू./2020/178, दिनांक 07/07/2020 में नवीन शिक्षण कार्यक्रम/संकाय से संबंधित प्रस्ताव का परीक्षण करने हेतु आयोग द्वारा अधिसूचना दिनांक 11/08/2020 के माध्यम से दो सदस्यीय मूल्यांकन समिति का गठन किया गया तथा मूल्यांकन समिति से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 17/08/2020 में निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :—

“ छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित निजी विश्वविद्यालय में कृषि/मेडिसिन/सर्जरी/आयुर्वेद/यूनानी/होम्योपैथ शिक्षण कार्यक्रम/संकाय की अनुमति दी जाये अथवा नहीं के संबंध में प्रस्ताव राज्य शासन के पास विचाराधीन है। अतः उक्त संकाय/शिक्षण कार्यक्रम को छोड़कर शेष शिक्षण कार्यक्रम यथा हेल्थ एण्ड एलाइड साइंस/पैरामेडिकल/नर्सिंग संकाय को संचालित किये जाने की अनुमति दिये जाने हेतु मूल्यांकन समिति अनुशंसा करती है।”

मूल्यांकन समिति की उक्त अनुशंसा पर माननीय सदस्यों द्वारा विचार-विमर्श किया गया तथा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण को राज्य शासन को अग्रेषित किया जाए।

14. श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, भिलाई में संकाय/शिक्षण कार्यक्रमों को पुनर्गठित किये जाने के संबंध में मूल्यांकन समिति से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 24/08/2020 पर विचार एवं निर्णय।

प्रकरण को आयोग की बैठक क्रमांक 116/2020, दिनांक 01/09/2020 में विचारार्थ एवं निर्णय हेतु रखा गया है। प्रकरण के संबंध में लेख है कि छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर से प्राप्त पत्र क्रमांक 559/487/2020/38-2, दिनांक 10/08/2020 के साथ संलग्न श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, भिलाई के पत्र दिनांक 17/07/2020 में नवीन शिक्षण कार्यक्रम/संकाय की स्थापना से संबंधित प्रस्ताव का परीक्षण करने हेतु आयोग द्वारा अधिसूचना दिनांक

14/08/2020 के माध्यम से मूल्यांकन समिति का गठन किया गया तथा मूल्यांकन समिति से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 24/08/2020 में निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :—

“ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित विषय समूह के अनुसार संकायों/शिक्षण कार्यक्रमों को पुनर्गठित किये जाने की अनुमति प्रदान करने हेतु मूल्यांकन समिति अनुशंसा करती है। ”

मूल्यांकन समिति द्वारा की गई अनुशंसा पर माननीय सदस्यों ने विचार-विमर्श किया तथा यह निर्णय लिया कि आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण को राज्य शासन को अग्रेषित किया जाए।

15. प्रायोजक निकाय होलिस्टिक फाउंडेशन, दुर्ग (छ.ग.) द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रतिवेदन के मूल्यांकन उपरांत मूल्यांकन समिति से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 27/08/2020 पर विचार एवं निर्णय।

प्रकरण को आयोग की बैठक क्रमांक 116/2020, दिनांक 01/09/2020 में विचारार्थ एवं निर्णय हेतु रखा गया है। प्रकरण के संबंध में लेख है कि प्रायोजक निकाय होलिस्टिक फाउंडेशन, दुर्ग, छत्तीसगढ़ (प्रस्तावित भारती यूनिवर्सिटी, दुर्ग) के परियोजना प्रतिवेदन का आयोग द्वारा गठित मूल्यांकन समिति ने दिनांक 27/08/2020 को मूल्यांकन किया। मूल्यांकन समिति से प्राप्त प्रतिवेदन में निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :—

“ तथ्यों के साथ-साथ प्रकरण के मूल्यांकन उपरांत यह पाया गया है कि परियोजना प्रतिवेदन में छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम—2005 की धारा 4(2) एवं 5(2) के अंतर्गत चाही गई जानकारी प्रायोजक निकाय द्वारा प्रदान की गई है। अतः प्रायोजक निकाय को भारती यूनिवर्सिटी की स्थापना हेतु आशय पत्र (LOI) जारी करने की अनुशंसा की जाती है। ”

मूल्यांकन समिति के उपरोक्त प्रतिवेदन पर माननीय सदस्यों द्वारा विचार-विमर्श किया गया तथा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रायोजक निकाय होलिस्टिक फाउंडेशन, दुर्ग को प्रस्तावित भारती यूनिवर्सिटी, दुर्ग की स्थापना हेतु आशय-पत्र (LOI) जारी करने हेतु छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर को अनुशंसा पत्र लिखा जाए।

16. राज्य में स्थापित निजी विश्वविद्यालयों द्वारा आयोग कार्यालय में जमा की जाने वाली एक प्रतिशत शुल्क को ऑनलाईन जमा कराने, कार्यालय की वेबसाइट का अपग्रेडेशन एवं एप्प निर्माण के संबंध में चिप्स कार्यालय, स्टेट डाटा सेंटर, रायपुर से प्राप्त प्रस्ताव दिनांक 03/09/2020 पर विचार एवं निर्णय।

प्रकरण को आयोग की बैठक क्रमांक 117/2020, दिनांक 12/10/2020 में विचारार्थ एवं निर्णय हेतु रखा गया है। प्रकरण के संबंध में लेख है छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा पत्र दिनांक 16/10/2019 के माध्यम से विधानसभा लोकलेखा समिति की बैठक दिनांक 25/09/2020 में कण्ठका 10.19 के संबंध में निर्देश दिया गया है कि निजी विश्वविद्यालयों द्वारा आयोग कार्यालय में जमा की जाने वाली एक प्रतिशत शुल्क राशि में विलंब रोकने हेतु सॉफ्टवेयर तैयार कर ऑनलाईन फीस जमा करायी जाए। इसके साथ ही आयोग के वेबसाइट का अपग्रेडेशन एवं एप्प निर्माण किया जाए।

इस हेतु आयोग कार्यालय द्वारा पत्र दिनांक 20/11/2019 के माध्यम से तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया। समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर एन.आई.

सी./चिप्स कार्यालय को इस संबंध में व्ययभार की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु आयोग से क्रमशः दिनांक 10/02/2020 एवं 03/03/2020 को पत्र प्रेषित किया गया। इस संबंध में चिप्स कार्यालय स्टेट डाटा सेंटर, रायपुर से दिनांक 03/09/2020 को प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

उक्त प्रस्ताव के संबंध में विचार-विमर्श किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि राज्य में स्थापित निजी विश्वविद्यालयों द्वारा जमा की जाने वाली एक प्रतिशत शुल्क राशि में विलंब को रोकने हेतु सॉफ्टवेयर तैयार कर ऑनलाईन फीस जमा कराने के साथ ही आयोग के वेबसाइट का अपग्रेडेशन एवं एप्प निर्माण किये जाने के संबंध में चिप्स कार्यालय के प्रस्ताव दिनांक 03/09/2020 का अनुमोदन किया गया।

17. आयोग कार्यालय हेतु नवा रायपुर अटलनगर सेक्टर-24, ऑफिस केम्पस में आवंटित बिल्टअप स्पेस में डिपोज़िट वर्क के तहत कार्यालय निर्माण एवं फर्नीशिंग कार्य के लिए रूपये 1.52 करोड़ का भुगतान करने हेतु नवा रायपुर अटलनगर विकास प्राधिकरण से प्राप्त पत्र दिनांक 20/10/2020 के संबंध में विचार एवं निर्णय।

प्रकरण को आयोग की बैठक क्रमांक 119/2020, दिनांक 12/11/2020 में विचारार्थ एवं निर्णय हेतु रखा गया है। प्रकरण के संबंध में लेख है कि नवा रायपुर विकास प्राधिकरण के पत्र क्रमांक 804, दिनांक 20/10/2020 में लेख किया गया है कि नवा रायपुर सेक्टर-24 में ऑफिस केम्पस भवन, ब्लॉक-ए/विंग-02/ग्राउंड फ्लोर में डिपोज़िट वर्क के तहत छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के कार्यालय निर्माण एवं फर्नीशिंग कार्य के संबंध में प्रशासकीय स्वीकृति राशि रूपये 4.57 करोड़ के स्थान पर केवल राशि रूपये 1.52 करोड़ का भुगतान एन.आर.ए.एन.वी.पी. को आयोग कार्यालय द्वारा किया गया। एन.आर.ए.एन.वी.पी. द्वारा आंचलिक कार्यालय निर्माण एवं फर्नीशिंग कार्य दिनांक 01/03/2020 से प्रारंभ किया गया है तथा कोरोना (Covid-19) के कारण दिनांक 24/03/2020 से 03/05/2020 तक पूर्णतः लॉकडाउन होने के कारण कार्य पूर्ण करने में बाधा आयी है इसलिए यह आंचलिक कार्यालय निर्माण एवं फर्नीशिंग कार्य दिनांक 31/01/2021 तक पूर्ण किया जाना है। अब ठेकेदारों को लगातार भुगतान किये जाने की आवश्यकता है।

अतः प्रशासकीय स्वीकृति राशि 4.57 करोड़ की द्वितीय किश्त राशि रूपये 1.52 करोड़ एन.आर.ए.एन.वी.पी. को अतिशीघ्र भुगतान कराने हेतु लेख किया नया है साथ ही यह भी उल्लेख किया गया है कि राशि के अभाव में ठेकेदारों को भुगतान में विलंब होने से निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण करने में परेशानी आएगी।

प्रकरण के संबंध में लेख है कि विनियामक आयोग की बैठक क्रमांक 110/2019, दिनांक 30/11/2019 के विषय क्रमांक 03 में नवा रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित एरिया के फर्नीशिंग एवं इंटीरियर के कार्य हेतु कुल राशि 4.57 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। तदानुसार आयोग कार्यालय द्वारा नवा रायपुर विकास प्राधिकरण को प्रद्यम किश्त राशि 1.52 करोड़ का भुगतान किया गया है।

अतः प्रकरण के संबंध में माननीय सदस्यों द्वारा विचार-विमर्श किया गया तथा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि नवा रायपुर विकास प्राधिकरण के नाम पत्र दिनांक 20/10/2020 के अनुसार द्वितीय किश्त राशि रूपये 1.52 करोड़ का भुगतान किया जाए।

तत्संबंध में नवा रायपुर अटलनगर विकास प्राधिकरण डिपोज़िट वर्क Team & Condition, वांछित Furnishing Layout Plane एवं राशि रु. 4.57 करोड़ प्राधिकरण आपके द्वारा आवश्यक

स्वीकृति एवं Deposit Work - T&C के अनुसार राशि प्रदान करने हेतु प्रस्तुत है। प्रस्तुत प्राक्कलन में लिया गया दर विगत वर्ष के न्यूनतम निविदा मूल्य के आधार पर लिया गया है। वास्तविक लागत नये निविदाओं के आधार पर आयेगा, जिसके अनुसार वास्तविक लागत नवा रायपुर अटलनगर को आयोग द्वारा देय होगा।

प्रस्ताव में यह भी उल्लेख है कि आवश्यक स्वीकृति एवं राशि प्राप्त होने के उपरांत ही नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के द्वारा यह कार्य संपादित किया जावेगा।

उक्त प्रस्ताव के अनुसार डिपोजिट वर्क के तहत कार्य कराने पर लगभग 4.57 करोड़ रुपये के व्यय भार की जानकारी उपलब्ध कराई गई है। इस राशि का 33.33% भुगतान करने के उपरांत ही कार्य प्रारंभ किये जाने का उल्लेख किया गया है।

अतः सदस्यों द्वारा प्रस्ताव के संबंध में विचार-विमर्श किया गया तथा प्रस्ताव को अनुमोदित करते हुए निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव के अनुसार व्यय होने वाली राशि लगभग रुपये 4.57 करोड़ का 33.33% लगभग राशि रुपये 1.52 करोड़ का भुगतान डिपोजिट वर्क के अंतर्गत नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को किया जावे।

- 18. प्रायोजक निकाय रिसर्च एण्ड ज्ञान फॉर नोबल अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट, आनंद, गुजरात द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रतिवेदन के मूल्यांकन उपरांत मूल्यांकन समिति से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 21/12/2020 पर विचार एवं निर्णय।**

प्रकरण को आयोग की बैठक क्रमांक 120/2020, दिनांक 30/12/2020 में विचारार्थ एवं निर्णय हेतु रखा गया है। प्रकरण पर आयोग की बैठक में विचार-विमर्श किया गया तथा प्रायोजक निकाय रिसर्च एण्ड ज्ञान फॉर नोबल अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट, आनंद, गुजरात (प्रस्तावित इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, धमतरी) के परियोजना प्रतिवेदन का आयोग द्वारा गठित मूल्यांकन समिति ने दिनांक 21/12/2020 को मूल्यांकन किया। मूल्यांकन समिति से प्राप्त प्रतिवेदन में निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :—

“ प्रकरण के मूल्यांकन उपरांत यह पाया गया है कि परियोजना प्रतिवेदन में छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम-2005 की धारा 4(2) एवं 5(2) के अंतर्गत चाही गई जानकारी प्रायोजक निकाय द्वारा प्रदान की गई है। अतः प्रायोजक निकाय को इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की स्थापना हेतु आशय पत्र (LOI) जारी करने की अनुशंसा की जाती है।”

मूल्यांकन समिति के उपरोक्त प्रतिवेदन पर माननीय सदस्यों द्वारा विचार-विमर्श किया गया तथा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रायोजक निकाय रिसर्च एण्ड ज्ञान फॉर नोबल अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट, आनंद, गुजरात (प्रस्तावित इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, धमतरी) की स्थापना हेतु आशय-पत्र (LOI) जारी करने हेतु छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर को अनुशंसा पत्र लिखा जाए।

- 19. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के निवास हेतु किराये पर मकान लेने के संबंध में विचार एवं निर्णय।**

प्रकरण को आयोग की बैठक क्रमांक 121/2021, दिनांक 13/01/2021 में विचारार्थ एवं निर्णय हेतु रखा गया है। प्रकरण के संबंध में लेख है कि अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के आवास के संबंध में छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम-2005 की कण्डिका 14(11) में अधोलिखित प्रावधान है :—

“ अध्यक्ष को विनियामक आयोग के मुख्यालय में निःशुल्क साज—सज्जा युक्त आवास की पात्रता होगी, जिसका रख—रखाव राज्य शासन द्वारा किया जाएगा।”

उक्त प्रावधानानुसार अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग को उनके पदभार ग्रहण करने के दिनांक से विनियामक आयोग के मुख्यालय में निःशुल्क साज—सज्जा युक्त आवास की पात्रता है। चूंकि विनियामक आयोग के पास पृथक से भवन नहीं है। अतः अध्यक्ष, विनियामक आयोग जिस किराये के मकान में निवासरत हैं, उसी मकान को आयोग कार्यालय द्वारा किराये पर लेने हेतु दिनांक 01/11/2020 से किरायानामा तैयार किया गया है।

सदस्य प्रशासनिक के अभिमत अनुसार कपिडका 14(11) के प्रावधानानुसार रख—रखाव राज्य शासन द्वारा किया जाएगा साथ ही क्रय की जाने वाली साज—सज्जा सामग्री का राज्य शासन एवं वित्त विभाग का अनुमोदन, बजट का अनुमोदन एवं क्रय समिति के गठन की अनुमति के पश्चात ही आवास एवं गृह साज—सज्जा युक्त सामग्री की पात्रता होगी।

आयोग की बैठक क्रमांक 11/2006, दिनांक 15/02/2006 के विषय क्रमांक 03 की कपिडका 02 में लिये गये निर्णय के अनुरूप ही यह निर्णय अंशकालिक सदस्य एवं अध्यक्ष महोदय द्वारा लिया गया है कि इस मकान को दिनांक 01/11/2020 से किराये पर ले लिया जाए तथा साज—सज्जा के संबंध में आवश्यक सामग्रियाँ (फर्नीचर, विद्युत उपकरण आदि) का नियमानुसार क्रय कर लिया जाए।

20. प्रायोजक निकाय एस.बी.ए. एजुकेशन सोसायटी, विवेकानंद नगर, रायपुर (छ.ग.) द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रतिवेदन के मूल्यांकन उपरांत मूल्यांकन समिति से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 02/03/2021 पर विचार एवं निर्णय।

प्रकरण को आयोग की बैठक क्रमांक 122/2021, दिनांक 06/03/2021 में विचारार्थ एवं निर्णय हेतु रखा गया है। प्रकरण पर आयोग की बैठक में विचार—विमर्श किया गया तथा प्रायोजक निकाय एस.बी.ए. एजुकेशन सोसायटी, विवेकानंद नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़ (प्रस्तावित अंजनेया यूनिवर्सिटी) के परियोजना प्रतिवेदन का आयोग द्वारा गठित मूल्यांकन समिति ने दिनांक 02/03/2021 को मूल्यांकन किया। मूल्यांकन समिति से प्राप्त प्रतिवेदन में निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :—

“ तथ्यों के साथ—साथ प्रकरण के मूल्यांकन उपरांत यह पाया गया है कि परियोजना प्रतिवेदन में छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम—2005 की धारा 4(2) एवं 5(2) के अंतर्गत चाही गई जानकारी प्रायोजक निकाय द्वारा प्रदान की गई है। अतः प्रायोजक निकाय को अंजनेया यूनिवर्सिटी की स्थापना हेतु आशय पत्र (LOI) जारी करने की अनुशंसा की जाती है।”

मूल्यांकन समिति के उपरोक्त प्रतिवेदन पर माननीय सदस्यों द्वारा विचार—विमर्श किया गया तथा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रायोजक निकाय एस.बी.ए. एजुकेशन सोसायटी, विवेकानंद नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़ को प्रस्तावित अंजनेया यूनिवर्सिटी की स्थापना हेतु आशय—पत्र (LOI) जारी करने हेतु छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर को अनुशंसा पत्र लिखा जाए।

21. आयोग कार्यालय के वित्तीय वर्ष 2020–21 के लेखा पुस्तिकाओं के कम्प्यूटराइजेशन का कार्य तथा अंकेक्षण का कार्य चार्टर्ड अकाउंटेंट से करवाये जाने के संबंध में विचार एवं निर्णय।

प्रकरण को आयोग की बैठक क्रमांक 122/2021, दिनांक 06/03/2021 में विचारार्थ एवं निर्णय हेतु रखा गया है। प्रकरण के संबंध में लेख है कि आयोग कार्यालय के वित्तीय वर्ष 2020-21 के लेखा पुस्तिकाओं का कम्प्यूटराइजेशन का कार्य पूर्व वित्तीय वर्ष की भाँति कराने तथा अंकेक्षण का कार्य भी पूर्व वर्ष की भाँति चार्टर्ड एकाउंटेंट, मेसर्स दीपक बत्रा एण्ड एसोसिएट्स (सी.ए.) से करवाने का निर्णय माननीय सदस्यों द्वारा विचार-विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से लिया गया।

22. छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के समस्त बैंक खातों के संचालन के संबंध में विचार एवं निर्णय।

प्रकरण को आयोग की बैठक क्रमांक 123/2021, दिनांक 27/03/2021 में विचारार्थ एवं निर्णय हेतु रखा गया है। प्रकरण के संबंध में लेख है कि छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय से जारी आदेश क्रमांक एफ 9-3/2021/38-2, दिनांक 23/03/2021 के माध्यम से छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग में सचिव के पद पर डॉ. (श्रीमती) मनीषा शुक्ला, सहायक प्राध्यापक—समाजशास्त्र, उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रतिनियुक्ति पर पदस्थि किया गया है। इस आदेश के परिपालन में डॉ. (श्रीमती) मनीषा शुक्ला ने आयोग के सचिव पद का पदभार दिनांक 24/03/2021 को पूर्वान्ह में ग्रहण कर लिया है, इसकी जानकारी बैठक में उपस्थित सभी माननीय सदस्यों को दी गई।

अतः बैठक में उपस्थित सभी माननीय सदस्यों द्वारा सर्व-सम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि आयोग के सभी बैंक खातों का संचालन माननीय अध्यक्ष, डॉ. शिव वरण शुक्ल एवं सचिव, डॉ. (श्रीमती) मनीषा शुक्ला के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा। इसकी सूचना संबंधित बैंकों को दी जाए।

23. अध्यादेशों का अनुमोदन :—

(1) श्री रावतपुरा विश्वविद्यालय, रायपुर के अनुगामी परिनियम एवं अनुगामी अध्यादेशों के मूल्यांकन पश्चात् मूल्यांकन समिति से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 12/03/2020 पर विचार एवं निर्णय।

श्री रावतपुरा विश्वविद्यालय, रायपुर के अनुगामी परिनियम एवं अनुगामी अध्यादेशों के मूल्यांकन पश्चात् मूल्यांकन समिति से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 12/03/2020 को आयोग की बैठक क्रमांक 113/2020, दिनांक 21/04/2020 में विचारार्थ एवं निर्णय हेतु रखा गया।

श्री रावतपुरा विश्वविद्यालय, रायपुर के द्वारा पत्र दिनांक 22/05/2019 के माध्यम से आयोग कार्यालय में प्रस्तुत अनुगामी परिनियम एवं अनुगामी अध्यादेश क्रमांक 55 से 135 के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन हेतु आयोग द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.	आयोग द्वारा गठित मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक	आयोग द्वारा विश्वविद्यालय को सूचित करने की तिथि	विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्ताव/जानकारी प्रस्तुत करने की तिथि
01.	दिनांक 22/11/2019	पत्र क्रमांक 11346, दिनांक 04/12/2019	पत्र क्रमांक 450, दिनांक 12/12/2019
02.	दिनांक 06/01/2020	पत्र क्रमांक 11511, दिनांक 08/01/2020	पत्र क्रमांक 483, दिनांक 17/01/2020
03.	दिनांक 13/02/2020	पत्र क्रमांक 11733, दिनांक 17/02/2020	पत्र क्रमांक 515, दिनांक 20/02/2020

मूल्यांकन समिति द्वारा बार-बार प्रतिवेदन तैयार कर त्रुटियों की ओर इंगित करने के पश्चात् भी विश्वविद्यालय ने पूर्ण रूप से त्रुटियों के संबंध में सुधार न करते हुए विश्वविद्यालय द्वारा पुनः अनुगामी परिनियम एवं अनुगामी अध्यादेश क्रमांक 55 से 135 तक प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

मूल्यांकन समिति द्वारा बैठक दिनांक 12/03/2020 में निम्नलिखित अभिमत का उल्लेख किया गया है :—

“ मूल्यांकन समिति के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से यह मत व्यक्त किया कि उपरोक्त परिस्थितियों में श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा प्रस्तुत परिनियम का अनुमोदन किया जाना संभव नहीं है। चूंकि विश्वविद्यालय द्वारा अलग से 05 अध्यादेश चिन्हित नहीं किया गया है। अतः इस संबंध में अंतिम निर्णय लेने हेतु प्रकरण आयोग को प्रेषित किया जा रहा है। ”

चूंकि विश्वविद्यालय द्वारा लगातार मूल्यांकन समिति के प्रतिवेदन के आधार पर त्रुटियों को सुधार कर अनुगामी परिनियम एवं अनुगामी अध्यादेश प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है तथा दिनांक 13/02/2020 की बैठक में स्पष्ट लेख करने के पश्चात् भी कोई भी 05 अनुगामी परिनियम एवं 05 अनुगामी अध्यादेश चिन्हित कर प्रस्तुत नहीं किया गया, बल्कि पूरा 55 से 135 तक अनुगामी अध्यादेश प्रेषित किया गया है।

अतः सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि आयोग की बैठक दिनांक 25/04/2017 के विषय क्रमांक 04 में लिये गये निर्णय के परिपालन में शैक्षणिक गुणवत्ता को बनाये रखने के साथ ही नियमानुसार परीक्षण करते हुए 05 अनुगामी परिनियम एवं अनुगामी अध्यादेश यथा 1. Bachelor of Education (B.Ed.), 2. Bachelor of Physical Education (B.P.Ed.), 3. Bachelor of Law (L.L.B.), 4. Bachelor of Arts & Bachelor of Law(Integrated), BALLB(Integrated), Bachelor of Vocation (B.Voc.) में विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक सुधार कर अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद सहित 03 प्रतियों में जमा करने के पश्चात् परीक्षणोपरांत ही छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन के लिए राज्य शासन को प्रेषित किया जाए।

(2) कलिंगा विश्वविद्यालय, रायपुर के अनुगामी अध्यादेशों के मूल्यांकन पश्चात् मूल्यांकन समिति से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 15/05/2020 पर विचार एवं निर्णय।

कलिंगा विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा आयोग कार्यालय में प्रस्तुत अनुगामी अध्यादेश क्रमांक 109 से 113 तक को आयोग की बैठक क्रमांक 114/2020, दिनांक 26/05/2020 में विचारार्थ एवं निर्णय हेतु रखा गया।

कलिंगा विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा आयोग कार्यालय में प्रस्तुत अनुगामी अध्यादेश क्रमांक 109 से 113 पर विस्तृत रूप से चर्चा एवं विचार-विमर्श किया गया। विचार-विमर्श के पश्चात् सभी माननीय सदस्यों ने सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय के अनुगामी अध्यादेश क्रमांक 109 से 113 को मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के आधार पर अनुमोदित किया तथा यह निर्णय लिया कि राज्य शासन, उच्च शिक्षा विभाग को राजपत्र में प्रकाशित कराने के लिये भेजा जाए।

(3) मैट्स विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा प्रस्तुत संशोधित अध्यादेश क्रमांक 26 एवं 117 के साथ ही अनुगामी अध्यादेश क्रमांक 132 से 136 को अनुमोदित किये जाने पर विचार एवं निर्णय।

मैट्स विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा प्रस्तुत संशोधित अध्यादेश क्रमांक 26 एवं 117 के साथ ही अनुगामी अध्यादेश क्रमांक 132 से 136 को अनुमोदित किये जाने हेतु आयोग की बैठक क्रमांक 116/2020, दिनांक 01/09/2020 में विचारार्थ एवं निर्णय हेतु रखा गया।

मैट्स विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा प्रस्तुत संशोधित अध्यादेश क्रमांक 26 एवं 117 के साथ ही अनुगामी अध्यादेश क्रमांक 132 से 136 पर विस्तृत रूप से चर्चा एवं विचार-विमर्श किया गया। विचार-विमर्श के पश्चात् सभी माननीय सदस्यों ने सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 26 एवं 117 के साथ ही अनुगामी अध्यादेश क्रमांक 132 से 136 को मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के आधार पर अनुमोदित किया तथा यह निर्णय लिया कि राज्य शासन, उच्च शिक्षा विभाग को राजपत्र में प्रकाशित कराने के लिये अग्रेषित किया जाए।

(4) कलिंगा विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा प्रस्तुत संशोधित अध्यादेश क्रमांक 01, 19, 24, 48 एवं 51 को अनुमोदित करने पर विचार एवं निर्णय।

कलिंगा विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा प्रस्तुत संशोधित अध्यादेश क्रमांक 01, 19, 24, 48 एवं 51 में संशोधन करने के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव को आयोग की बैठक क्रमांक 119/2020, दिनांक 12/11/2020 में विचारार्थ एवं निर्णय हेतु रखा गया।

कलिंगा विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा पूर्व में प्रकाशित अध्यादेश क्रमांक 01, 19, 24, 48 एवं 51 पर विस्तृत रूप से चर्चा एवं विचार-विमर्श किया गया। विचार-विमर्श के पश्चात् सभी माननीय सदस्यों ने सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 01, 19, 24, 48 एवं 51 को मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के आधार पर अनुमोदित किया तथा यह निर्णय लिया कि राज्य शासन, उच्च शिक्षा विभाग को राजपत्र में प्रकाशित कराने के लिये अग्रेषित किया जाए।

(5) श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, दुर्ग द्वारा प्रस्तुत प्रथम परिनियम क्रमांक 01–30 एवं प्रथम अध्यादेश क्रमांक 01 से 81 को अनुमोदित करने पर विचार एवं निर्णय।

श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, दुर्ग द्वारा प्रस्तुत प्रथम परिनियम क्रमांक 01–30 एवं प्रथम अध्यादेश क्रमांक 01 से 81 को आयोग की बैठक क्रमांक 119/2020, दिनांक 12/11/2020 में विचारार्थ एवं निर्णय हेतु रखा गया।

श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, दुर्ग द्वारा प्रस्तुत प्रथम परिनियम क्रमांक 01–30 एवं प्रथम अध्यादेश क्रमांक 01 से 81 पर विस्तृत रूप से चर्चा एवं विचार-विमर्श किया गया। विचार-विमर्श के पश्चात् सभी माननीय सदस्यों ने सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम क्रमांक 01–30 एवं प्रथम अध्यादेश क्रमांक 01 से 81 को मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के आधार पर अनुमोदित किया तथा यह निर्णय लिया कि राज्य शासन, उच्च शिक्षा विभाग को राजपत्र में प्रकाशित कराने के लिये अग्रेषित किया जाए।

(6) आई.एस.बी.एम. विश्वविद्यालय, गरियाबंद द्वारा प्रस्तुत अनुगामी अध्यादेश क्रमांक 64 से 68 एवं संशोधित अध्यादेश क्रमांक 03, 04, 23, 24, 27, 54 तथा संशोधित परिनियम क्रमांक 12 को अनुमोदित करने पर विचार एवं निर्णय।

आई.एस.बी.एम. विश्वविद्यालय, गरियाबंद द्वारा प्रस्तुत अनुगामी अध्यादेश क्रमांक 64 से 68 एवं संशोधित अध्यादेश क्रमांक 03, 04, 23, 24, 27, 54 तथा संशोधित परिनियम क्रमांक 12 को आयोग की बैठक क्रमांक 119/2020, दिनांक 12/11/2020 में विचारार्थ एवं निर्णय हेतु रखा गया।

आई.एस.बी.एम. विश्वविद्यालय, गरियाबंद द्वारा प्रस्तुत अनुगामी अध्यादेश क्रमांक 64 से 68 एवं संशोधित अध्यादेश क्रमांक 03, 04, 23, 24, 27, 54 तथा संशोधित परिनियम क्रमांक 12 पर विस्तृत रूप से चर्चा एवं विचार-विमर्श किया गया। विचार-विमर्श के पश्चात् सभी माननीय सदस्यों ने सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय के अनुगामी अध्यादेश क्रमांक 64 से 68 एवं संशोधित अध्यादेश क्रमांक 03, 04, 23, 24, 27, 54 तथा संशोधित परिनियम क्रमांक 12 को मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के आधार पर अनुमोदित किया तथा यह निर्णय लिया कि राज्य शासन, उच्च शिक्षा विभाग को राजपत्र में प्रकाशित कराने के लिये अग्रेषित किया जाए।

(7) आई.सी.एफ.ए.आई. विश्वविद्यालय, कुम्हारी, जिला-दुर्ग के द्वारा प्रस्तुत अनुगामी अध्यादेश क्रमांक 40-44 एवं संशोधित अध्यादेश (अध्यादेश क्रमांक 06) को अनुमोदित करने पर विचार एवं निर्णय।

आई.सी.एफ.ए.आई. विश्वविद्यालय, कुम्हारी, जिला-दुर्ग के द्वारा प्रस्तुत अनुगामी अध्यादेश क्रमांक 40-44 एवं संशोधित अध्यादेश (अध्यादेश क्रमांक 06) को आयोग की बैठक क्रमांक 120 / 2020, दिनांक 30 / 12 / 2020 में विचारार्थ एवं निर्णय हेतु रखा गया।

आई.सी.एफ.ए.आई. विश्वविद्यालय, कुम्हारी, जिला-दुर्ग के द्वारा प्रस्तुत अनुगामी अध्यादेश क्रमांक 40-44 एवं संशोधित अध्यादेश (अध्यादेश क्रमांक 06) पर विस्तृत रूप से चर्चा एवं विचार-विमर्श किया गया। विचार-विमर्श के पश्चात् सभी माननीय सदस्यों ने सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय के अनुगामी अध्यादेश क्रमांक 40-44 एवं संशोधित अध्यादेश (अध्यादेश क्रमांक 06) को मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के आधार पर अनुमोदित किया तथा यह निर्णय लिया कि राज्य शासन, उच्च शिक्षा विभाग को राजपत्र में प्रकाशित कराने के लिये अग्रेषित किया जाए।

24. राज्य में स्थापित निजी विश्वविद्यालयों द्वारा वर्ष 2020-21 में विद्यार्थियों से ली गई शुल्क राशि का एक प्रतिशत एवं शास्त्रिक ब्याज़ राशि को आयोग में जमा किया गया तथा आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में राशि को जमा किया गया है। राज्य की संचित निधि में जमा किये गये शुल्क राशि का विवरण :—

संक्र.	निजी विश्वविद्यालय का नाम	एक प्रतिशत शुल्क राशि (रुपये में)	शास्त्रिक ब्याज़ राशि (रुपये में)	कुल राशि (रुपये में)
01	डॉ.सी.व्ही.रमन विश्वविद्यालय	4886527/-	1430046/-	6316573/-
02	मैट्स विश्वविद्यालय	1881895/-	704924/-	2586819/-
03	कलिंगा विश्वविद्यालय	4056972/-	2009372/-	6066344/-
04	आई.सी.एफ.ए.आई. विश्वविद्यालय	121822/-	466/-	122288/-
05	आई.टी.एम. विश्वविद्यालय	830636/-	171160/-	1001796/-
06	एमिटी विश्वविद्यालय	1660651/-	47193/-	1707844/-
07	ओ.पी. जिंदल विश्वविद्यालय	806704/-	—	806704/-
08	आई.एस.बी.एम. विश्वविद्यालय	561903/-	35859/-	597762/-
09	ए.ए.एफ.टी. यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एण्ड आर्ट्स	198278/-	3615/-	201893/-
10	श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय	1298242/-	88594/-	1386836/-
11	कौ.कौ. मोदी विश्वविद्यालय	12495/-	233/-	12728/-
12	देव संस्कृति विश्वविद्यालय	14052/-	26/-	14078/-
कुल राशि				20821665/-

25. पूर्ववर्ती/प्रस्तावित निजी विश्वविद्यालयों से संबंधित शिकायतों पर कार्यवाही

पूर्ववर्ती निजी विश्वविद्यालयों के संबंध में विभिन्न प्रकार की शिकायतें आयोग को प्राप्त हुईं। प्राप्त शिकायतों के संबंध में संबंधित प्रायोजक निकायों को पत्र द्वारा शिकायतों का निराकरण करने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही विचाराधीन अवधि में सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए समय पर आयोग कार्यालय द्वारा आवेदकों को जानकारी उपलब्ध करायी गई है।

26. निजी विश्वविद्यालयों के निरीक्षण के संबंध में :-

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम-2005 के अंतर्गत स्थापित 14 निजी विश्वविद्यालयों में से केवल निजी विश्वविद्यालयों का निरीक्षण आयोग कार्यालय द्वारा किया गया। निरीक्षण में पायी गई कमियों को दूर करने के लिए संबंधित विश्वविद्यालयों को आयोग कार्यालय द्वारा निर्देशित किया गया है। शेष 11 निजी विश्वविद्यालयों का निरीक्षण कोरोना महामारी के प्रकोप से घोषित लॉकडाउन के कारण तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया।

27. छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित निजी विश्वविद्यालयों का विवरण :-

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम-2005 के अंतर्गत वर्ष 2006 से विचाराधीन अवधि तक छत्तीसगढ़ राज्य में 14 निजी विश्वविद्यालय स्थापित व संचालित हैं, इनका विवरण निम्नानुसार है :—

सं. क्र.	निजी विश्वविद्यालयों के नाम	निजी विश्वविद्यालयों का पता	स्थापना वर्ष/दिनांक
1.	डॉ.सी.व्ही.रमन विश्वविद्यालय	करगी रोड कोटा जिला—बिलासपुर (छ.ग.)	स्थापना दिनांक 03 नवम्बर, 2006
2.	मैट्स विश्वविद्यालय	ग्राम—गुल्लु, तह.—आरंग, जिला—रायपुर (छ.ग.)	स्थापना दिनांक 03 नवम्बर, 2006
3.	कलिंगा विश्वविद्यालय	ग्राम—कोटनी, पलौद, तह.—आरंग, जिला—रायपुर (छ.ग.)	स्थापना दिनांक 25 मार्च, 2011
4.	आई.सी.एफ.ए.आई. विश्वविद्यालय	ग्राम—चोरहा, तह.—धमधा, जिला—दुर्ग (छ.ग.)	स्थापना दिनांक 25 मार्च, 2011
5.	आई.टी.एम. विश्वविद्यालय	ग्राम—उपरवारा, तह.—अभनपुर, जिला—रायपुर (छ.ग.)	स्थापना दिनांक 03 फरवरी, 2012
6.	एमिटी विश्वविद्यालय	ग्राम—मांठ, तह.—तिल्दा, जिला—रायपुर (छ.ग.)	स्थापना दिनांक 21 अगस्त, 2014
7.	ओ.पी. जिंदल	ओ.पी. जिंदल नॉलेज पार्क,	स्थापना दिनांक

	विश्वविद्यालय	ग्राम—पुंजीपथरा, तह.—घरघोड़ा, जिला—रायगढ़ (छ.ग.)	21 अगस्त, 2014
8.	आई.एस.बी.एम. विश्वविद्यालय	ग्राम—छुरा, तह.—छुरा, जिला—गरियाबंद (छ.ग.)	स्थापना दिनांक 09 सितम्बर, 2016
9.	ए.ए.एफ.टी. यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एण्ड आर्ट्स	ग्राम—मांठ, तह.—तिल्दा, जिला—रायपुर (छ.ग.)	स्थापना दिनांक 17 अप्रैल, 2018
10.	श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय	शदाणी दरबार के पास, धनेली, पोस्ट—माना, धमतरी रोड, तहसील एवं जिला—रायपुर (छ.ग.)	स्थापना दिनांक 17 अप्रैल, 2018
11.	महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एण्ड टेक्नोलॉजी	ग्राम—मंगला, तहसील एवं जिला— बिलासपुर (छ.ग.)	स्थापना दिनांक 17 अप्रैल, 2018
12.	के.के. मोदी यूनिवर्सिटी	ग्राम—महमरा, जलबांधा रोड, तहसील एवं जिला—दुर्ग, (छ.ग.)	स्थापना दिनांक 08 अगस्त, 2018
13.	देव संस्कृति विश्वविद्यालय	ग्राम—सांकरा, कुम्हारी जिला—दुर्ग, (छ.ग.)	स्थापना दिनांक 08 अगस्त, 2018
14.	श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी	ग्राम—जुनवानी, भिलाई, जिला—दुर्ग (छ.ग.)	स्थापना दिनांक 09 जून, 2020

28. छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित निजी विश्वविद्यालयों के संबंध में अन्य जानकारी :—

(1) डॉ. सी.व्ही. रमन विश्वविद्यालय, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर (छ.ग.)

01	निजी विश्वविद्यालय का नाम	डॉ. सी.व्ही. रमन विश्वविद्यालय
	पता	करगी रोड, कोटा, बिलासपुर (छ.ग.)
	वेबसाईट	www.cvru.ac.in
	ई—मेल आई.डी.	info@cvru.ac.in
	दूरभाष	07753—253801, 07753—253728
02	प्रायोजक निकाय का नाम	आईसेक्ट
	पता	स्कोप कैम्पस, एन.एच.—12, मिसरौद, होशंगाबाद रोड, भोपाल—47 (म.प्र.)
03	नैक द्वारा दर्जा प्राप्त	B+
04	विश्वविद्यालय की स्थापना का वर्ष	वर्ष — 03 नवम्बर, 2006
05	कुल भूमि	60 एकड़
06	विश्वविद्यालय में कुल निर्माण वर्गफुट में	514471 वर्गफुट
07	सत्र 2020—21 में कुल प्रवेशित छात्र/छात्राएं	5506

(2) मैट्स विश्वविद्यालय, ग्राम—गुल्लु, आरंग—खरोरा हाईवे, रायपुर (छ.ग.)

01	निजी विश्वविद्यालय का नाम	मैट्स विश्वविद्यालय
	पता	ग्राम—गुल्लु, आरंग—खरोरा हाईवे, रायपुर

		(छ.ग.)
	वेबसाइट	www.matsuniversity.ac.in
	ई-मेल आई.डी.	info@matsuniversity.ac.in
	दूरभाष	0771-4078994 / 95 / 96 / 98
02	प्रायोजक निकाय का नाम	श्री भगवान महावीर जैन एजुकेशनल एंड कल्याल सोसायटी
	पता	मैट्स विश्वविद्यालय, पगारिया कॉम्प्लेक्स, न्यू बस स्टैंड, पंडरी, रायपुर (छ.ग.)
03	नैक द्वारा दर्जा प्राप्त	B++
04	विश्वविद्यालय की स्थापना का वर्ष	वर्ष – 03 नवम्बर, 2006
05	कुल भूमि	39 एकड़
06	विश्वविद्यालय में कुल निर्माण वर्गफुट में	412700 वर्गफुट
07.	सत्र 2020–21 में कुल प्रवेशित छात्र/छात्राएं	1749

(3) कलिंगा विश्वविद्यालय, ग्राम-कोटनी पलौद, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)

	निजी विश्वविद्यालय का नाम	कलिंगा विश्वविद्यालय
01	पता	कोटनी, मंत्रालय के निकट, नवा रायपुर (छ.ग.)
	वेबसाइट	www.kalingauniversity.ac.in
	ई-मेल आई.डी.	registrar@kalingauniversity.ac.in
	दूरभाष	9303097043
02	प्रायोजक निकाय का नाम	भगवान श्री बालासाई एजुकेशनल एंड चैरिटेबल सोसायटी
	पता	कलिंगा विश्वविद्यालय, कोटनी, मंत्रालय के निकट, नवा रायपुर (छ.ग.)
03	नैक द्वारा दर्जा प्राप्त	नैक मूल्यांकन हेतु निरीक्षण सम्पन्न हो चुका है, दर्जा प्राप्त होना लंबित है।
04	विश्वविद्यालय की स्थापना का वर्ष	वर्ष – 25 मार्च, 2011
05	कुल भूमि	27.82 एकड़
06	विश्वविद्यालय में कुल निर्माण वर्गफुट में	6.5 लाख वर्गफुट
07	सत्र 2020–21 में कुल प्रवेशित छात्र/छात्राएं	2009

(4) आई.सी.एफ.ए.आई. विश्वविद्यालय, कुम्हारी, तह-चोरहा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

	निजी विश्वविद्यालय का नाम	आई.सी.एफ.ए.आई. विश्वविद्यालय
01	पता	एन.एच.-53, रायपुर-भिलाई रोड, किमी. स्टोन-20, पो- कुम्हारी, जिला-दुर्ग

		(छ.ग.)
	वेबसाईट	www.iuraipur.edu.in
	ई-मेल आई.डी.	registrar@iuraipur.edu.in
	दूरभाष	09111005504
02	प्रायोजक निकाय का नाम	द आई.सी.एफ.ए.आई. सोसाइटी
	पता	रायपुर (छ.ग.)
03	नैक द्वारा दर्जा प्राप्त	अभी नैक द्वारा प्रत्यायन नहीं लिया गया है।
04	विश्वविद्यालय की स्थापना का वर्ष	वर्ष – 25 मार्च, 2011
05	कुल भूमि	30.43 एकड़
06	विश्वविद्यालय में कुल निर्माण वर्गफुट में	66473.67 वर्गफुट
07	सत्र 2020–21 में कुल प्रवेशित छात्र/छात्राएं	161

(6) आई.टी.एम. विश्वविद्यालय, ग्राम—उपरवारा, अभनपुर, जिला—रायपुर (छ.ग.)

	निजी विश्वविद्यालय का नाम	आई.टी.एम. विश्वविद्यालय
01	पता	नवा रायपुर अटल नगर, ग्राम—उपरवारा, रायपुर (छ.ग.)
	वेबसाईट	www.itmuniversity.org
	ई-मेल आई.डी.	info@itmuniversity.org
	दूरभाष	0771–6640418
02	प्रायोजक निकाय का नाम	इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट सोसाइटी
	पता	सी.–252, ए, सेक्टर–6ए, वल्लभ नगर, रायपुर (छ.ग.)
03	नैक द्वारा दर्जा प्राप्त	प्रक्रियाधीन
04	विश्वविद्यालय की स्थापना का वर्ष	वर्ष – 03 फरवरी, 2012
05	कुल भूमि	25 एकड़
06	विश्वविद्यालय में कुल निर्माण वर्गफुट में	11148.36 वर्गफुट
07	सत्र 2020–21 में कुल प्रवेशित छात्र/छात्राएं	443

(6) ओ.पी. जिंदल विश्वविद्यालय, ओ.पी. जिंदल नॉलेज पार्क, पूंजीपथरा, रायगढ़ (छ.ग.)

	निजी विश्वविद्यालय का नाम	ओ.पी. जिंदल विश्वविद्यालय
01	पता	ओ.पी. जिंदल नॉलेज पार्क, पूंजीपथरा, रायगढ़ (छ.ग.)
	वेबसाईट	www.opju.ac.in
	ई-मेल आई.डी.	info@opju.ac.in
	दूरभाष	0776–7254000

02	प्रायोजक निकाय का नाम पता	जिंदल एजुकेशन इंड वेलफेर सोसाइटी जिंदल स्टील लिमिटेड, पोस्ट बॉक्स नं. 16, खरसिया रोड, रायगढ़ (छ.ग.)
03	नैक द्वारा दर्जा प्राप्त	विश्वविद्यालय द्वारा दिसम्बर, 2021 में नैक के लिए आवेदन किया जाएगा।
04	विश्वविद्यालय की स्थापना का वर्ष	वर्ष – 25 मार्च, 2011
05	कुल भूमि	59.32 एकड़
06	विश्वविद्यालय में कुल निर्माण वर्गफुट में	312250.28 वर्गफुट
07	सत्र 2020–21 में कुल प्रवेशित छात्र/छात्राएं	1342

(7) एमिटी विश्वविद्यालय, ग्राम—मांठ, तिल्दा, रायपुर (छ.ग.)

01	निजी विश्वविद्यालय का नाम पता वेबसाईट ई—मेल आई.डी. दूरभाष	एमिटी यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ ग्राम—मांठ, तिल्दा, रायपुर (छ.ग.) www.amity.edu/raipur registrarauc@rpr.amity.edu.in 0771—7114226
02	प्रायोजक निकाय का नाम	रितनंद बलदेव इंटरनेशनल एजुकेशन फाउंडेशन
03	नैक द्वारा दर्जा प्राप्त	लागू नहीं
04	विश्वविद्यालय की स्थापना का वर्ष	वर्ष – 21 अगस्त, 2014
05.	कुल भूमि	53.67 एकड़
06.	विश्वविद्यालय में कुल निर्माण वर्गफुट में	325000 वर्गफुट
07	सत्र 2020–21 में कुल प्रवेशित छात्र/छात्राएं	841

(8) आई.एस.बी.एम. विश्वविद्यालय, नवापारा (कोसमी), तह.—छुरा, गरियाबंद (छ.ग.)

01	निजी विश्वविद्यालय का नाम पता वेबसाईट ई—मेल आई.डी. दूरभाष	आई.एस.बी.एम. विश्वविद्यालय नवापारा(कोसमी), तह.—छुरा, गरियाबंद (छ.ग.) www.isbmuniversity.edu.in info@isbmuniversity.edu.in 9109333333
02	प्रायोजक निकाय का नाम पता	अल्फा फाउन्डेशन एम.—1, पंचल उद्योग नगर, सिंडीकेट बैंक के पास, थाणे—401105 (महाराष्ट्र)
03	नैक द्वारा दर्जा प्राप्त	लागू नहीं
04	विश्वविद्यालय की स्थापना का वर्ष	वर्ष – 09 सितंबर, 2016
05	कुल भूमि	33 एकड़
06	विश्वविद्यालय में कुल निर्माण वर्गफुट में	109587 वर्गफुट
07	सत्र 2020–21 में कुल प्रवेशित छात्र/छात्राएं	3388

(9) ए.ए.एफ.टी. यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एण्ड आर्ट्स, ग्राम—मांठ, तिल्दा, रायपुर (छ.ग.)

01	निजी विश्वविद्यालय का नाम	ए.ए.एफ.टी. विश्वविद्यालय
	पता	ग्राम—मांठ, खरोरा, तिल्दा, रायपुर (छ.ग.)
	वेबसाईट	www.aaft.edu.in
	ई—मेल आई.डी.	registrar@aaft.edu.in
	दूरभाष	8586972071
02	प्रायोजक निकाय का नाम	सोसाइटी ऑफ मीडिया एण्ड आर्ट्स
	पता	ग्राम—मांठ, खरोरा, तिल्दा, रायपुर (छ.ग.)
03	नैक द्वारा दर्जा प्राप्त	नहीं
04	विश्वविद्यालय की स्थापना का वर्ष	वर्ष — 17 अप्रैल, 2018
05	कुल भूमि	27.34 एकड़
06	विश्वविद्यालय में कुल निर्माण वर्गफुट में	27000 वर्गफुट
07	सत्र 2020—21 में कुल प्रवेशित छात्र/छात्राएं	60

(10) श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय, ग्राम—धनेली, पोस्ट—माना, न्यू धमतरी रोड, रायपुर (छ.ग.)

01	निजी विश्वविद्यालय का नाम	श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय
	पता	ग्राम—धनेली, पोस्ट—माना, नया धमतरी रोड, रायपुर (छ.ग.)
	वेबसाईट	www.srurajpur.ac.in
	ई—मेल आई.डी.	info.srur@gmail.com
	दूरभाष	0771—2473300
02	प्रायोजक निकाय का नाम	श्री रावतपुरा सरकार लोक कल्याण ट्रस्ट
	पता	रायपुर (छ.ग.)
03	नैक द्वारा दर्जा प्राप्त	नहीं
04	विश्वविद्यालय की स्थापना का वर्ष	वर्ष — 17 अप्रैल, 2018
05	कुल भूमि	65 एकड़
06	विश्वविद्यालय में कुल निर्माण वर्गफुट में	3.50 लाख वर्गफुट
07	सत्र 2020—21 में कुल प्रवेशित छात्र/छात्राएं	784

(11) महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, मंगला, बिलासपुर (छ.ग.)

01	निजी विश्वविद्यालय का नाम	महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी
	पता	मंगला, बिलासपुर (छ.ग.)
	वेबसाईट	www.mumt.com
	ई—मेल आई.डी.	mumt.registrar1@gmail.com

	दूरभाष	07752-414301
02	प्रायोजक निकाय का नाम पता	महर्षि शिक्षा संस्थान ई-5, 5वी मंजिल, हंसालय बिल्डिंग, 15, बाराखंबा रोड, नई दिल्ली
03	नैक द्वारा दर्जा प्राप्त	प्रक्रियाधीन
04	विश्वविद्यालय की स्थापना का वर्ष	वर्ष - 17 अप्रैल, 2018
05	कुल भूमि	34.38 एकड़
06	विश्वविद्यालय में कुल निर्माण वर्गफुट में	1,16,126 वर्गफुट
07	सत्र 2020-21 में कुल प्रवेशित छात्र/छात्राएं	16

(12) के.के. मोदी विश्वविद्यालय, महमरा जलबंधा, रसमड़ा रोड, दुर्ग (छ.ग.)

01	निजी विश्वविद्यालय का नाम पता वेबसाईट ई-मेल आई.डी. दूरभाष	के.के. मोदी विश्वविद्यालय महमरा जालबंधा, रसमड़ा रोड, दुर्ग (छ.ग.) www.kkmu.edu.in info@kkmu.edu.in 8010350350
02	प्रायोजक निकाय का नाम पता	मोदी इनोवेटिव एजुकेशन सोसाइटी 9-फरिश्ता कॉम्प्लैक्स, जी.ई. रोड, रायपुर (छ.ग.)
03	नैक द्वारा दर्जा प्राप्त	लागू नहीं
04	विश्वविद्यालय की स्थापना का वर्ष	वर्ष - 08 अगस्त, 2018
05	कुल भूमि	25.00 एकड़
06	विश्वविद्यालय में कुल निर्माण वर्गफुट में	39.516.27 वर्गफुट
07	सत्र 2020-21 में कुल प्रवेशित छात्र/छात्राएं	31

(13) देव संस्कृति विश्वविद्यालय, ग्राम-सांकरा, कुम्हरी, पोस्ट-कपसदा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

01	निजी विश्वविद्यालय का नाम पता ई-मेल आई.डी.	देव संस्कृति विश्वविद्यालय ग्राम-सांकरा, कुम्हरी, तहसील-धमधा, जिला-दुर्ग (छ.ग.) dsvvcgsankara18@gmail.com
02	प्रायोजक निकाय का नाम पता	श्री वेदमाता गायत्री द्रस्ट शांतिकुंज हरिद्वार (उत्तराखण्ड)
03	नैक द्वारा दर्जा प्राप्त	नहीं
04	विश्वविद्यालय की स्थापना का वर्ष	वर्ष - 08 अगस्त, 2018
05	कुल भूमि	26.50 एकड़
06	विश्वविद्यालय में कुल निर्माण वर्गफुट में	01 लाख वर्गफुट
07	सत्र 2020-21 में कुल प्रवेशित छात्र/छात्राएं	36

(14) श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, ग्राम—जुनवानी, भिलाई, जिला—दुर्ग (छ.ग.)

01	निजी विश्वविद्यालय का नाम पता ई-मेल आई.डी.	श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ग्राम—जुनवानी, भिलाई, जिला—दुर्ग (छ.ग.) registrar@shrishankracharyauniversity@gmail.com
02	प्रायोजक निकाय का नाम पता	श्री गंगाजली एजुकेशन सोसायटी ग्राम—जुनवानी, भिलाई, तहसील व जिला — दुर्ग (छ.ग.)
03	नैक द्वारा दर्जा प्राप्त	यह विश्वविद्यालय सन् 2020 में स्थापित किया है एवं विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम एवं अध्यादेश राजपत्र में 08 मार्च, 2021 को प्रकाशित हुए हैं। अतः चाही गई जानकारी निरंक है।
04	विश्वविद्यालय की स्थापना का वर्ष	वर्ष – 09 जून, 2020
05	कुल भूमि	25+ एकड़
06	विश्वविद्यालय में कुल निर्माण वर्गफुट में	01 लाख + वर्गफुट
07	सत्र 2020–21 में कुल प्रवेशित छात्र/ छात्राएं	53

29. न्यायालयीन प्रकरण :—

पूर्ववर्ती निजी विश्वविद्यालयों/स्थापित निजी विश्वविद्यालयों के विरुद्ध विभिन्न न्यायालयों में याचिका दायर की गई है, जिनमें विनियामक आयोग को एक पक्षकार बनाया गया है। विनियामक आयोग द्वारा प्रत्येक प्रकरण में अधिवक्ता से सम्पर्क कर आयोग का पक्ष रखते हुए निम्नानुसार समस्त प्रकरणों में आवश्यक कार्यवाही की गई। वर्ष 2020–21 में न्यायालयीन प्रकरण का विवरण निम्नानुसार है:—

न्यायालयीन प्रकरणों की स्थिति

रिट पिटिशन/कम्प्लेन्ट नं.	माननीय उच्च न्यायालय/उपभोक्ता फोरम का नाम	वादी/प्रतिवादी	रिमार्क
रिट पिटिशन (सी) नं. 13042 / 2018	माननीय उच्च न्यायालय, नई दिल्ली	नितिन कुमार दुबे विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य	प्रकरण लंबित है।
रिट पिटिशन (सी) नं. 2971 / 2016	माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर छ.ग.	राजकिशोर वर्मा विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य	प्रकरण लंबित है।
रिट पिटिशन (सी) नं. 2960 / 2016	माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर छ.ग.	करुण दास मानिकपुरी विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य	प्रकरण लंबित है।
रिट पिटिशन (सी) नं. 2976 / 2016	माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर छ.ग.	श्रवण कुमार हलवाई विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य	प्रकरण लंबित है।

रिट पिटिशन नं. 2997 / 2018	माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर छ.ग.	किशोर कुमार पण्डा विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य	प्रकरण लंबित है।
रिट पिटिशन नं. 2593 / 2018	माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर छ.ग。	सोनिया पटेल विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य	प्रकरण लंबित है।
रिट पिटिशन नं. 3153 / 2018	माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर छ.ग.	डॉ. सी.व्ही. रमन विश्वविद्यालय विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य	प्रकरण लंबित है।
रिट पिटिशन नं. 3141 / 2018	माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर छ.ग.	डॉ. सी.व्ही. रमन विश्वविद्यालय विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य	प्रकरण लंबित है।
रिट पिटिशन नं. 2269 / 2019	माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर छ.ग.	श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य	प्रकरण लंबित है।
रिट पिटिशन नं. 1601 / 2019	माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर छ.ग.	श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य	प्रकरण लंबित है।
रिट पिटिशन नं. 104 / 2020	माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर छ.ग.	डॉ. आरती सिंह विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य	प्रकरण लंबित है।

30. छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित निजी विश्वविद्यालयों की विवेचना एवं अनुसंधान—अनुशीलन संगोष्ठी

लक्ष्य :—

निजी विश्वविद्यालयों के द्वारा कोरोना काल में कृत कार्य और आगामी योजनाएं। तत्संबंधित—

1. कोरोना के परिप्रेक्ष्य में निजी विश्वविद्यालयों में वर्तमान शैक्षणिक सत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों की परीक्षा के साथ ही आगामी शैक्षणिक सत्र में विद्यार्थियों के प्रवेश तथा अध्ययन—अध्यापन हेतु किये गये प्रयासों की जानकारी।
2. कोरोना के परिप्रेक्ष्य में निजी विश्वविद्यालयों में अध्यापन, शोध एवं अन्य कार्यक्रमों में यथा उचित मानक स्तर तथा उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने हेतु विश्वविद्यालयों द्वारा किये गये प्रयासों की जानकारी उपलब्ध कराने के संबंध में।
3. राज्य शासन द्वारा जारी अकादमिक कैलेण्डर का परिपालन करने के साथ ही निजी विश्वविद्यालयों द्वारा पाठ्यक्रम संचालित करने के पूर्व अध्यादेश को राजपत्र में प्रकाशित करवाना सुनिश्चित करने के संबंध में।
4. निजी विश्वविद्यालयों में कुलपति, कुलसचिव एवं शिक्षण कार्य हेतु शिक्षकों की नियमित नियुक्ति की जानकारी उपलब्ध कराने के संबंध में।
5. निजी विश्वविद्यालयों द्वारा आयोग कार्यालय में देय एक प्रतिशत शुल्क राशि की जानकारी उपलब्ध कराने के संबंध में।
6. अन्य अत्यावश्यक तथ्य।

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित निजी विश्वविद्यालयों की विवेचना एवं अनुसंधान—अनुशीलन संगोष्ठी का समायोजन दिनांक 17/12/2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया।

माननीय राज्यपाल, छत्तीसगढ़, जो कि निजी विश्वविद्यालयों और आयोग की कुलाध्यक्ष हैं। इसलिए वेबीनार का आयोजन उनके निर्देशन में सम्पन्न हुआ है।

चूंकि संगोष्ठी का समायोजन प्रातः 09:00 बजे से सायं 06:00 बजे कुल 09 घण्टे तक हुआ। अतः गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के भारत के प्रतिनिधि श्री मनीष विज्ञोई जी के द्वारा इस वेबीनार को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सम्मिलित किये जाने की घोषणा की गई एवं गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का प्रमाण—पत्र प्रदान किया गया है।

संगोष्ठी में माननीय राज्यपाल एवं कुलाध्यक्ष जी के द्वारा आयोग एवं समस्त निजी विश्वविद्यालयों को दिया गया आशीर्वचन :—

“ वर्तमान परिवेश में हम विद्यार्थियों को ऐसी शिक्षा दें कि उनमें नैतिक मूल्य जागृत हो सके तथा समाज के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हो सके और वह राष्ट्र निर्माण में सक्रिय रहे। हमें ऐसा कार्य करना चाहिए कि छत्तीसगढ़ से ही नहीं बल्कि देश—विदेश के विद्यार्थी भी यहां अध्ययन करने आये। ”

31. छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के 16वें स्थापना दिवस समारोह 01 फरवरी, 2021 के संबंध में।

यह अत्यंत ही हर्ष का विषय है कि छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, रायपुर दिनांक 01/02/2021 को स्थापना के गरिमापूर्ण 16 वर्ष पूर्ण किया है।

छत्तीसगढ़ पहला ऐसा राज्य है, जिसने राज्य में उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु स्ववित्तीय विश्वविद्यालयों की स्थापना एवं निगमन के लिए अधिनियम—2005 का निर्माण कर छत्तीसगढ़ राजपत्र असाधारण में प्रकाशित कराया है।

माननीय राज्यपाल एवं कुलाध्यक्ष की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के स्थापना दिवस समारोह (कोविड—19 के नियमों के परिपालन के साथ) दिनांक 01 फरवरी, 2021 को राजभवन के दरबार हॉल में समारोह आयोजित किया गया, जिसमें राज्य के समस्त निजी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति, कुलपति एवं कुलसचिव गण के साथ ही अन्य शिक्षाविद भी सम्मिलित हुए।

32. लेखाओं पर प्रतिवेदन के संबंध में :—

विचाराधीन अवधि के लेखाओं की सम्परीक्षा मेसर्स बत्रा दीपक एण्ड एसोसिएट्स चार्टर्ड एकाउंट्स, रायपुर द्वारा की गई है, जो प्रतिवेदन के साथ संलग्न है।

(डॉ. मनीष शुक्ला)
सचिव

(डॉ. शिव वरण शुक्ल)
अध्यक्ष

CHHATTISGARH NIJI VISHWAVIDYALAYA
VINAYAMAK AYOG

AUDITED FINANCIAL STATEMENT
FOR FINANCIAL YEAR
2020-21

BATRA DEEPAK & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANT

Batra Deepak & Associates
Chartered Accountants

Office No.28, 2nd Floor, Ashoka Plaza Complex
(Near Ashoka Ratan, Khamardih), Vidhan Sabha Road, RAIPUR (Chhattisgarh) 492001
Phone: 0771-2281180, 81, 82; Fax: 0771-2281183
E-mail: deepakbda@gmail.com

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To,
The Members
Chhattisgarh Niji Vishwavidyalaya Vinayamak Ayog (Ayog),
Raipur (Chhattisgarh)

We have audited the attached Balance Sheet of CHHATTISGARH NIJI VISHWAVIDYALAYA VINAYAMAK AYOG (AYOG) as at 31st March 2021 and the Income & Expenditure Account of the Ayog for the year ended on that date. Our report is as under:

- (a) These financial statements are the responsibility of the Entity's Management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements, based on our audit.
- (b) We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. Those Standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
- (c) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.
- (d) In our opinion, proper books of account have been prepared, so far as it appears from our examination of such books.
- (e) The Balance Sheet and Income & Expenditure Account referred to in this report are in agreement with the books of accounts.
- (f) Our audit observations are as under:
 - i). As per clause 9(b) of Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Rules 2005, AYOG has to deposit the fees within 15 days of receipt from the Universities to the Government but we noticed following instances where amount has been deposited with the University.



F.D.

S.NO	NAME OF UNIVERSITY	DATE OF RECEIPT	DUE DATE OF DEPOSIT	DATE OF DEPOSIT	DELAY IN DAYS	AMOUNT
1	OP Jindal University	18.07.2020	02.08.2020	12.08.2020	10	5,150/-
2	Amity University	18.07.2020	02.08.2020	12.08.2020	10	20,741/-
3	Mats University	23.07.2020	07.08.2020	12.08.2020	5	61,621/-
4	Mats University	15.10.2020	30.10.2020	09.11.2020	10	148102/-
5	Mats University	26.02.2021	13.03.2021	19.03.2021	6	7,04,924/-
6	ICFAI	15.10.2020	30.10.2020	09.11.2020	10	23,160/-
7	Kalinga University	15.10.2020	30.10.2020	09.11.2020	10	4,37,190/-
8	OP Jindal University	17.10.2020	01.11.2020	09.11.2020	8	69,919/-
9	Shri Rawatpura University	17.10.2020	01.11.2020	09.11.2020	8	31,637/-
10	Dev Sanskriti University	17.10.2020	01.11.2020	09.11.2020	8	1,149/-

The fees from Universities are being received through cheque / Demand Draft. It is observed with reference to date of cheque /Demand Draft that there are instances of significant delay in getting the funds credited to the account. The suggestion to get remittance through online facility such as NEFT, RTGS etc. has not been implemented.

- ii). As per clause 9(a) of Chhattisgarh Private Universities (Establishment and operation) Rules 2005 read with section 12(a) of the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and operation) Act 2005, affiliated universities have to deposit an amount of 1% of fees received from their students within 15 days of following month with AYOG however we observed that this stipulation is not regularly followed by affiliated universities, details as under:-

S.No.	Particulars	For the month	Due to be received by	Actually received	Amount
1.	Mats University	March 2020	By 15 th of Following Month	08.06.2020	65,637
		April 2020	By 15 th of Following Month	11.06.2020	9,965
		FY 2016-17 & FY 2017-18 (Short Deposit)	By 15 th of Following Month	12.03.2021	3,50,049



2.	ICFAI University	March 2020 to May 2020	By 15 th of Following Month	16.06.2020	10,388
		August 2020	By 15 th of Following Month	09.12.2020	10,351
		December 2020	By 15 th of Following Month	18.01.2021	12,737
3.	Amity University	November 2020	By 15 th of Following Month	30.12.2020	64,877
		January 2021	By 15 th of Following Month	02.03.2021	763128
		February 2021	By 15 th of Following Month	22.03.2021	57,754
4.	Kalinga University	March 2020	By 15 th of Following Month	17.08.2020	1,36,044
		July 2020	By 15 th of Following Month	17.08.2020	51,485
		FY 2019-20 (Short Deposit)	By 15 th of Following Month	17.08.2020	7,77,573
5.	OP Jindal University	March 2020	By 15 th of Following Month	21.05.2020	1,300
		FY 2017-18 (Short Deposit)	By 15 th of Following Month	26.02.2021	57,735
6.	AAFT University	March 2020 to June 2020	By 15 th of Following Month	24.08.2020	44,353
		September 2020	By 15 th of Following Month	19.10.2020	73,365
7.	Dev Sanskriti University	March 2020 to August 2020	By 15 th of Following Month	15.09.2020	282
8.	Shri Rawatpura Sarkar University	April 2019 to March 2020	By 15 th of Following Month	09.09.2020	5,26,959
		April 2020 to August 2020	By 15 th of Following Month	09.09.2020	2,00,532
9.	ISBM University	February 2020 to	By 15 th of Following	09.12.2020	4,21,277



		October 2020	Month		
10.	KK Modi University	October 2020 to November 2020	By 15 th of Following Month	22.12.2020	7,782
11.	Dr. C.V. Raman University	April 2020 to November 2020	By 15 th of Following Month	24.12.2020	2,38,131
		FY 2018-19 & FY 2019-20 (Short Deposit)	By 15 th of Following Month	05.01.2021	44,13,518
		December 2020 to January 2020	By 15 th of Following Month	09.02.2021	2,34,878
12.	ITM University	July 2019 to May 2020	By 15 th of Following Month	18.01.2021	8,30,636

It can be seen from the aforesaid table above that no uniform practice is being followed by the Universities which are affiliated with the AYOG. In some of the cases the University is sending the details for a particular quarter and some time it is stretching to more than a quarter, whereas the stipulation is that they are supposed to submit the amount on monthly basis within 15 days from the end of the following Month in which the fees have been received.

- iii). As per Section 12 of Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Rules, 2005, one per cent of the fees collected from students under clause (a), shall be deposited through bank draft/banker's cheque with the Regulatory Commission within 15 days of the month succeeding to the month in which such fees are received. If Private University fails to deposit fees within stipulated period then it shall be liable to pay such fee with penal interest at the rate of 1.5% for every 30 days. It is observed during the audit that none of the university is paying interest on the delay with reference to monthly periodicity. As against that the university concerned is paying penal interest based on their yearly fees. It is also been observed that whatever amount is remitted by the affiliated University, is being deposited in the designated account without any kind of cross verification. It is suggested to obtain necessary certificate from Chartered Accountant in respect of the authenticity & accuracy of the amount; that would further enhance the reliability.
- iv). An amount of Rs. 10,000/- was given on 18.11.2016 to PWD, Raipur for Mini Conference Hall for conducting meeting, however it was cancelled and this amount has not been received back.
- v). An amount of Rs. 40,608 has been reimbursed for medical expenses incurred by a member. No evidence is provided for the hospital being registered under Section 17(2) of Income Tax Act 1961. Hence we are unable to comment whether the same will be exempt hands of member.



10

- (g) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said Balance Sheet and the Income and Expenditure account read together with the notes thereon, but subject to para (f) above give the information required, in the manner so required and give a true and fair view:
- (i) In the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the Ayog as at 31st March, 2021, and
- (ii) In the case of Income and Expenditure Account, of the Surplus for the year ended on that date.

For, BATRA DEEPAK & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REG. NO. 005408C



M.NO. 419856
UDIN: 21419856AAAABJ6544

PLACE: RAIPUR
DATE: 22.07.2021

[Signature]

CHHATTISGARH NIJI VISHWAVIDYALAYA VINAYAMAK AYOG

BALANCE SHEET AS AT 31 ST MARCH 2021

Address: 29/776, Plot No. 5, Block-3, Shanti Nagar RAIPUR - 492001 Chhattisgarh

PARTICULARS	SCHEDULE	AMOUNT (₹) 31.03.2021	AMOUNT (₹) 31.03.2020
SOURCES OF FUNDS:			
CAPITAL FUND:			
Reserve & Surplus	"A"	25,29,59,145	22,67,94,574
T-O-T-A-L :-		25,29,59,145	22,67,94,574
APPLICATION OF FUNDS:			
FIXED ASSETS:	"B"		
Opening W.D.V.		21,47,455	18,89,085
Add: Addition during the year		1,44,199	6,42,033
Less: Depreciation during the year		4,06,291	3,83,663
Closing W.D.V.		18,85,363	21,47,455
Capital-Work-In-Progress		8,93,58,869	7,39,79,039
		9,12,44,232	7,61,26,494
CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES:			
Cash & Bank balances	"C"	1,98,83,624	55,04,416
Investments in fixed deposit receipts	"D"	51,25,92,479	51,61,89,719
Deposits & Advances	"E"	52,95,701	55,82,987
		53,77,71,804	52,72,77,122
LESS: CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS:	"F"		
Net Current Assets		37,60,56,890	37,66,09,042
T-O-T-A-L :-		16,17,14,913	15,06,68,080
Notes to accounts form integral part of Balance Sheet and Income & Expenditure Account	"G"	25,29,59,145	22,67,94,574

FOR, CHHATTISGARH NIJI VISHWAVIDYALAYA

VINAYAMAK AYOG
For, Chhattisgarh Niji
Vishwavidyalaya Vinayamak Ayog

[Dr. Sunit Verma Shukla]
Chairman

[CHAIRMAN]

[Dr. (Smt.) Manisha Shukla]
Secretary

[SECRETARY]

DATE : 22.07.2021
PLACE: RAIPUR

FOR, BATRA DEEPAK & ASSOCIATES

CHARTERED ACCOUNTANTS

STAMP NO. 005408C



DATE : 22.07.2021
PLACE: RAIPUR
UDIN: 21419856AAAABJ6544

CHHATTISGARH NIJI VISHWAVIDYALAYA VINAYAMAK AYOG
INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT
FOR THE YEAR ENDED ON 31ST MARCH 2021
Address: 29/776, Plot No. 5, Block-3, Shanti Nagar RAIPUR - 492001 Chhattisgarh

PARTICULARS	SCHEDULE	AMOUNT ₹ 31.03.2021	AMOUNT ₹ 31.03.2020
I-N-C-O-M-E :			
Interest from FDR		4,92,92,890	2,94,43,725
Interest from Banks		7,71,263	8,55,917
Income Incidental / Auxiliary objects		20,500	500
Interest on IT Refund		378	37,913
	TOTAL (A)	5,00,85,031	3,03,38,055
E-X-P-E-N-D-I-T-U-R-E :			
Staff salary		85,13,425	1,08,65,448
Telephone expenses		34,135	29,972
Rent A/c		5,04,492	4,14,189
Electricity charges		48,550	75,590
Travelling and Conveyance expenses		2,904	12,062
Depreciation & Amortisation		4,06,291	3,83,663
Office expenses		1,48,962	94,069
Interest on Endowment Fund		1,32,75,440	1,70,00,000
Conference expense		30,380	-
Land Inspection Work		2,000	-
Appeal Fees		-	1,000
Bank charges		413	732
Repair and Maintenance (P&M)		2,17,911	1,17,324
Postage & Telegram Exp.		15,861	-
Printing & Stationery expenses		74,451	99,255
Sitting fees		1,19,000	1,01,000
Legal & Professional expenses		3,21,960	1,14,000
Locker Rent		1,652	1,475
Medical Reimbursement		40,608	90,001
Diesel Expenses		1,62,025	1,35,955
	TOTAL (B)	2,39,20,460	2,95,35,734
Excess of Income over Expenditure (A - B)		2,61,64,571	8,02,321
Net Surplus Carried to Balance Sheet		2,61,64,571	8,02,321
Notes to accounts form integral part of Balance Sheet and Income	"G"		

FOR, CHHATTISGARH NIJI VISHWAVIDYALAYA

For Chhattisgarh N.I.V.
Vishwavidyalaya Vinayamak Ayog

[Signature]
Dr. Shiva Vinay Shukla
Chairman
[CHAIRMAN]

[Signature]
(Dr. (Smt.) Manisha Shukla)
Secretary
[SECRETARY]

DATE : 22.07.2021
PLACE: RAIPUR

FOR, BATRA DEEPAK & ASSOCIATES

CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REG. NO. 1000000008C



M. No 419856

DATE : 22.07.2021
PLACE: RAIPUR
UDIN: 21419856AAAABJ6544

CHHATTISGARH NIJI VISHWAVIDYALAYA VINAYAMAK AYOG
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2021

PARTICULARS	AS AT 31.03.2021	AS AT 31.03.2020
SCHEDULE - "A"		
RESERVES & SURPLUS:		
Opening Balance	22,67,94,574	22,50,33,389
Add : Surplus/ (Deficit)	2,61,64,571	8,02,321
Add : Excess Salary to be Recovered from Employees	-	9,58,864
T-O-T-A-L :-	25,29,59,145	22,67,94,574
SCHEDULE - "C"		
CASH AND BANK BALANCE:		
Petty Cash (As certified by Management)	5,573	5,573
Bank Balances :		
(a) Balance with Union Bank of India	12,94,542	14,73,446
(b) Balance With Central Bank Of India	35,83,509	40,25,398
(c) Auto Sweep Account with Union Bank of India	1,50,00,000	-
T-O-T-A-L :-	1,98,83,624	55,04,416
SCHEDULE - "D"		
INVESTMENTS IN FDR(s):		
(a) Fixed Deposits with Union Bank of India	51,25,92,479	51,61,89,719
T-O-T-A-L :-	51,25,92,479	51,61,89,719
SCHEDULE - "E"		
DEPOSITS & ADVANCES		
(a) TDS Receivable (A.Y 2007-08)	85,617	85,617
(b) Deposit for rent	45,000	45,000
(c) Deposit for telephone	1,402	1,402
(d) Advance to PWD for Mini Conference	10,000	10,000
(e) Mr Barun Ganda- Excess Salary Receivable	1,03,435	1,51,183
(f) Mr Ramji Dwivedi -Excess Salary Receivable	3,39,869	4,96,733
(g) Mrs Rekha Rani Kannowjiya-Excess Salary Receivable	1,79,952	2,63,004
(i) IT Refund Receivable AY 2019-20	-	38,012
(j) IT Paid for AY 2017-18 Assessment (Disputed)	45,30,426	44,92,036
T-O-T-A-L :-	52,95,701	55,82,987
SCHEDULE - "F"		
CURRENT LIABILITIES & PROVISION		
(a) Endowment fund	37,60,00,000	37,60,00,000
(b) Fees to be deposited in Treasury	54,390	6,06,542
(c) Mr. Vikas Verma	2,500	2,500
T-O-T-A-L :-	37,60,56,890	37,66,09,042



(Signature)

CHHATTISGARH NIII VISHWAVIDYALAYA VINAYAMAK AYOG
SCHEDULE "B" DETAILS OF FIXED ASSETS

PARTICULARS	RATE	W.D.V. AS ON 1-04-20	ADDITIONS		TOTAL	TOTAL DEPRECIATION	W.D.V. AS ON 31.03.2021
			MORE THAN 180 DAYS	LESS THAN 180 DAYS			
Furniture & Fixtures	10%	3,34,136	-	1,39,200	4,73,336	40,374	4,32,962
Office Equipments	15%	86,788	-	4,999	91,787	13,393	78,394
Computers	40%	53,351	-	-	53,351	21,340	32,011
Printers	40%	2,320	-	-	2,320	928	1,392
Air Conditioner	15%	1,15,043	-	-	1,15,043	17,256	97,787
Car	15%	10,21,563	-	-	10,21,563	1,53,234	8,68,329
Cooler Machine	15%	3,400	-	-	3,400	510	2,890
Maruti D'zire Car	30%	5,30,854	-	-	5,30,854	1,59,256	3,71,598
TOTAL		21,47,455	-	1,44,199	22,91,654	4,06,291	18,85,363
<i>Work in Progress</i>							
Office Building at Naya Raipur Sec-24	15%	7,39,79,039	1,53,79,830	-	8,93,58,869	-	8,93,58,869
TOTAL		7,39,79,039		1,53,79,830	-	8,93,58,869	-
							8,93,58,869



CHHATTISGARH NIJI VISHWAVIDYALAYA VINAYAMAK AYOG

SCHEDULE - "G" SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES & NOTES TO ACCOUNTS

A. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES:

1. BASIS FOR PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENT:

These accounts have been prepared under the historical cost convention on the basis of a going concern, with revenues earned and expenses actually paid i.e. cash method of accounting. The financial statements are prepared in accordance with the generally accepted accounting principles and provisions of the statute have been followed.

2. FIXED ASSETS:

Fixed assets are stated at cost less depreciation. Cost of acquisition of fixed assets is inclusive of all expenses.

3. DEPRECIATION:

The entity has provided for depreciation as per rates prescribed under the Income Tax Act 1961.

4. CONTINGENT LIABILITIES:

- (i) Contingent liabilities have not provided for in the books of accounts and are shown separately in the "Notes to Accounts". The liability of Rs. 1,51,81,174/- towards interest due on endowment fund payable to such depositors has not been accounted for in books of accounts as the same would be accounted on payment basis.
- (ii) Estimated amount of Contingent liability remaining to be executed (for construction of Office Building at Naya Raipur, Atal Nagar) amounts to Rs. 1,53,04,680.61/-

Total Estimated Cost for Construction	Rs. 4,57,05,680.61
Less: Amount Paid Till Date	
1 st Instalment	Rs. 1,52,00,000.00
2 nd Instalment	Rs. 1,52,00,000.00
Amount of Contingent Liability remaining to be executed	Rs. 1,53,04,680.61

- (iii) No Contingent liability is entered in books of accounts against Law Suits pending as no financial implication has been ascertained.



A handwritten signature in black ink, likely belonging to the accountant who signed the document.

B. NOTES TO ACCOUNTS:


- (i) Figures of the previous year have been re-arranged/re-grouped wherever considered necessary so as to make them comparable with current year's figures.
- (ii) Tax Provision: - The AYOG is a body enacted under a separate enactment. It is constituted to regulate the conduct of private sector universities in the state of Chhattisgarh. It is also designated agency for allowing set up of any private university in the state of Chhattisgarh. In view of which it fulfills the criteria stipulated under section 10(46) of the I.T Act for getting full exemption of its income/surplus. Apart From this, AYOG has already been approved for exemption under other applicable sections of the IT Act. AYOG has been recognizing the refund of Endowment funds as its application of surplus and therefore does not have taxable income accordingly it has not made any provision of income tax in its books of account.
- (iii) Cash-in-Hand have been taken as certified by the management.
- (iv) Parties' balances are subject to confirmations.

SIGNATURES TO SCHEDULES "A" TO "G"

For, CHHATTISGARH NIJI VISHWAVIDYALAYA

— VINIYAMAK AYOG

For, Chhattisgarh Niji
Vishwavidyalaya Vinayamak Ayog


(Dr. Shiva Venk Shukla)
Chairman


(Dr. (SM) Manisha Shukla)
Secretary

[CHAIRMAN]

[SECRETARY]

For, BATRA DEEPAK & ASSOCIATES

CHARTERED ACCOUNTANTS

FIRM REG. NO. 005408C



M.NO. 419856

UDIN: 21419856AAAABJ6544

DATE: 22.07.2021

PLACE: RAIPUR

DATE: 22.07.2021

PLACE: RAIPUR



विद्या निलयम्



छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग

विद्या निलयम् सेक्टर-24, ऑफिस कॉम्प्लेक्स, प्लॉट नम्बर-07, ब्लॉक-बी, भू-तल,
नवा रायपुर, अटल नगर, जिला—रायपुर 144702

Email: cgpurc18@gmail.com, Website: www.cgpurc.in